THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON LAND HOLDINGS ACT, 1960

(U. P. Act No. 1 of 1961)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS-

CHAPTER I
Preliminary

1- Short title, extent and commencement
2- Application of the Act to certain areas with exceptions or modifications
3- Definitions
4- Determination of area for purposes of ceiling and exemptions
4A- Determination of irrigated land

CHAPTER II
Imposition of ceiling on land holdings, exemption and acquisition of surplus land

5. Imposition of ceiling
6- Exemption of certain land from the imposition of ceiling
7- Bar of suit on basis ofcertain contracts for transfer of land
8- Rights of tenure holder and other members of his family in land held within ceiling Area
9- General notice to tenureholders holdings land in excess of ceiling area for submission of statement in respect thereof
10-Notice to tenureholders failing to submit a statement or submitting an incomplete or incorrect statement
11- Determination of surplus land where no objection is filed
12-Determination of the surplus land by the Prescribed Authority where an objection is filed
12A- Insertion of new section 12A
13- Appeals
13A- Redetermination of surplus land in certain cases
14- Acquisition of surplus land
15-Disposal of property left on surplus land
16- Damages for use and occupation of surplus land

CHAPTER III
Determination and payment of amount

17- Manner of calculation of amount
17A- Payment of amount to waqfs, trusts, etc.
17B- Refund of amount in certain cases
18- Compensation Officer
19- Preliminary publication of the Draft Compensation assessment Roll
20- Cases where no objections are filed
21- Disposal of objections
22- Manner of payment of amount
23- Amount to be placed at the disposal of the Court or authority

CHAPTER IV
Disposal and Settlement of Surplus Land
24. Ommited
25- Use of surplus land for other public purposes
26- Settlement or letting out of surplus land by Collector
26A- Settlement of land let out for interim period before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1969
27- Settlement of surplus land
28- Terms and conditions of settlement
29- Subsequent declaration of further land as surplus land
30- Determination of surplus land regarding future acquisition
31- Land gained by the recess of river

CHAPTER V
Miscellaneous

32- State Government to be a party to all proceedings under this Act
33- Power to determine or modify hereditary rates
34- Ommited
35- Penalties
35A- Cognizance of offences
36- Offences by Companies and Cooperative Society
37- Powers of officers and authorities in hearing and disposal of objections and the procedure to be followed
38- Powers of the appellate Court and the procedure to be followed by it
38A- Power to call for particulars of land from tenure holders
38B- Bar against Res Judicata

39- Protection of action taken under this Act
40- Mode of recovery of any amount under this Act
41- Recovery of arrears of land revenue, etc.
42- Application of the Limitation Act, 1963
43- Delegation of Power
44- Power to make rules
45- Repeal
Schedule-

THE UTTAR PRADESH IMPOSITION OF CEILING ON LAND HOLDINGS ACT, 1960[1]

(U. P. Act No. 1 of 1961)

Amended by

U. P. Act No. 28 of 1961
U. P. Act No. 21 of 1962
U. P. Act No. 04 of 1969
U. P. Act No. 35 of 1970
U. P. Act No. 18 of 1973
U. P. Act No. 02 of 1975
U. P. Act No. 20 of 1976
U. P. Act No. 56 of 1976
U. P. Act No. 05 of 1979
U. P. Act No. 20 of 1982
U. P. Act No. 03 of 1986
U. P Act No. 24 of 1986

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on September 5, 1960 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 19, 1960.

Received the assent of the President on December 24, 1960, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 3, 1961.]

to provide for the imposition of ceiling on land holdings in Uttar Pradesh and certain other matters connected therewith.

Whereas it is necessary in the interest of the community to ensure increased agricultural production and to provide land for landless agricultural labourers and for other public purposes as best to subserve the common good ;

And whereas a more equitable distribution of land is essential ;

And wherefore, it is expedient to provide for the imposition of ceiling on land holdings in Uttar Pradesh for the aforementioned purposes ;

It is hereby enacted in the Eleventh Year of the Republic of India as follows ;

CHAPTER I

Preliminary

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

---

1. For Statement of Objects and Reasons. please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 29, 1959.

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961]

उ0 प्र0 अधिनियम सं० 28, 1961
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 21, 1962
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 04, 1969
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 35, 1970
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 18, 1973
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 02, 1975
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 20, 1976
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 56, 1976
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 05, 1979
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 20, 1982
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 03, 1986
उ0 प्र0 अधिनियम सं० 24, 1986

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5 सितम्बर, 1960 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 19 सितम्बर, 1960 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1960 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 जनवरी, 1961 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश मे जोतों पर अधिकतम सीमायें आरोपित करने तथा उससे सम्बन्धित कतिपय अन्य विषयों की व्यवस्था करने के लिये ;

अधिनियम

सामुदायिक हित के लिये यह आवश्यक है कि अधिक कृषि उत्पादन सुनिश्चित किया जाय तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिये भूमि की इस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे अधिकतम लोकहित साधन हो ;

और भूमि का अधिक साम्यपूर्ण वितरण आवश्यक है ;

और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में जोतों पर अधिकतम सीमाएं आरोपित करने की व्यवस्था करना इष्टकर है ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–1

प्रारम्भ

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 29 अगस्त, 1959 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

(3) It shall come into force at once except in the areas mentioned in Section 2, where it shall come into force from such date and in such manner as may be notified under that section, and different dates may be appointed for different areas.

[1]Application of the Act to certain areas with exceptions or modifications

2. The State government may, by notification in the Official *Gazette* apply the provisions of this Act, subject to such exceptions or modifications, not affecting the substance, as the circumstances of the case may require, to the areas mentioned below ;

U. P. Act no. IX of 1957.

(i) the urban areas to which the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956 extends ;

(ii) the [2][Kumaon and Garhwal Divisions] except the Kashipur Sub-division and such areas of Tarai and Bhabar Sub-division where no intermediaries exist ; and

(iii) the Pargana of Jaunsar-Bawar in the Dehra Dun district.

Definitions

3. [3][In this Act, unless the context otherwise requires–

(1) 'banking company' has the same meaning as in Uttar Pradesh Public Moneys (Recovery of Dues) Act, 1972 ;

(2) 'ceiling area' means the area of land, not being land exempted under this Act determined as such in accordance with the provisions of Section 5 ;

(3) 'company', 'government company' and 'Public company' have the same meanings as in the Companies Act, 1956 ;

(4) 'co-operative society' means a co-operative society registered under the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965 ;

[4][(5) 'Corporation' means the statutory cooperation, that is to say, a corporation established by or under an Uttar Pradesh Act or a Central Act.]

(6) 'degree' or 'post-graduate college' means such college as is an affiliated, associated or constituent college in relation to a University ;

(7) 'family' in relation to a tenure-holder means himself or herself and his wife or her husband as the case may be (other than a judicially separated wife or husband), minor sons and minor daughters (other than married daughters) ;

---

1. Extended to the areas mentioned in sub-clauses (ii) and (iii), vide notification no. 25/Rajaswa—1-73, dated June 11, 1973, with exceptions and modifications as in Appendix. (2)

2. *Subs.* by *sec.* 4 of U. P. Act 20 of 1976.

3. *Subs.* by Sections 3 of U. P. Act No. 18, 1973 :—

4. *Subs.* by *sec.* 5(a) of U. P. Act 20 of 1976. [deemed to have been substituted from 8 June, 1973]

(3) यह धारा 2 में उल्लिखित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में तुरन्त प्रचलित हो जायगा जथा उक्त उल्लिखित क्षेत्रों में यह उस दिनांक से तथा ऐसी रीति से प्रचलित होगा जो उक्त धारा के अधीन विज्ञापित की जाय, तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते है ।

[1]कतिपय क्षेत्रों में अपवादों तथा परिष्कारों के साथ अधिनियम की प्रवृत्ति

उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1957

2–राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को, ऐसे अपवादों या परिष्कारों के अधीन रहते हुए जिनका मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो और जो मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त कर सकती है :–

(1) नागर–क्षेत्र जिनमें उत्तर प्रदेश नागर–क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1956 का प्रसार है ;

(2) [2][कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल] सिवाय काशीपुर परगना के तथा तराई और भावर परगने के उन क्षेत्रों के जहां कोई मध्यवर्ती नहीं है ; तथा

(3) देहरादून जिले का जौनसार–बाबर परगना ।

परिभाषाएं

[3][**3**–जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में ––

(1) "बैंकिंग कम्पनी" का तात्पर्य वही है जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक–धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में है ;

(2) "अधिकतम क्षेत्र" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के उस क्षेत्र से है जो धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो ;

(3) "कम्पनी", "सरकारी कम्पनी" और "सार्वजनिक कम्पनी" के वही अर्थ है जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 मे कम्पनी, गवर्नमेंन्ट कम्पनी तथा पब्लिक कम्पनी के लिये है ;

(4) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति से है ;

[4][(5) "निगम" का तात्पर्य किसी सांविधिक निगम, अर्थात् किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम से है ;]

(6) "डिग्री या स्नातकोत्तर कालेज" का तात्पर्य ऐसे कालेज से है जो किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सम्बद्ध, सहयुक्त अथवा संघटक कालेज हो ;

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में, "परिवार" का तात्पर्य स्वयं और (न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न) उसके पति या उसकी पत्नी, जैसी भी दशा हो, अवयस्क पुत्रों और (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियों से है ;

---

1. अधिसूचना संख्या 25/राजस्व–1–73, दिनांक 11 जून, 1973, अपवादों और संशोधनों के साथ जैसा कि परिशिष्ट (2) में है।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 5(क) द्वारा बढ़ाया गया । [8 जून, 1973 से रखे गये समझे जायेंगे।]

(8) 'grove land' means any specific piece of land in a holding having trees (not including [1][guava, papaya, banana or vine plants] planted thereon before January 24, 1971, in such numbers that they preclude or when full grown will preclude the land or any considerable portion thereof from being used primarily for any other purpose and the trees on such land constitute a grove ;

(9) 'holding' means the land or lands held by a person as a bhumidhar, sirdar, asami of Gaon Sabha or an asami mentioned in Section 11 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or as a tenant under the U. P. Tenancy Act, 1939, other than a sub-tenant, or as a Government lessee, or as a sub-lessee of a Government lessee, where the period of the sub-lease is co-extensive with the period of the lease ;

(10) 'intermediate college' means a college recognized as such by the Board of high School and Intermediate Education, Uttar Pradesh ;

[2][(11) 'irrigated land' means land determined as such in the manner laid down in section 4-A.]

[3][(11A. 'Adult' means a person who has attained the age of 18 years and 'Minor' means a person who is not an adult]

(12) 'prescribed' means prescribed by rules made under this Act;

(13) 'prescribed authority' means such officer not below the rank of an Assistant Collector of the first class as may be empowered by the State Government, by notification in the *Gazette*, to perform the functions of prescribed authority under this Act for such area or areas as may be specified in that behalf ;

(14) 'private irrigation work' means a private tube-well, or a private lift irrigation work operated by diesel or electric power for the supply of water from a perennial water source, completed before August 15, 1972 ;

---

1. *Subs.* by sec. 5 (b) of U. P. Act 20 of 1976. [deemed to have been substituted from 8 June, 1973]
2. *Subs.* by sec. 5 (c) of U. P. Act 20 of 1976. [deemed to have been substituted from 8 June, 1973]
3. *Subs.* by *sec.* 3(b) of U.P. Act No. 2, 1975.

(8) "बाग–भूमि" का तात्पर्य किसी जोत में ऐसी विशिष्ट भूमि से है जिस पर 24 जनवरी, 1971 के पूर्व इतनी संख्या में वृक्ष जिसके अन्तर्गत [1][अमरूद पपीता, केला या अंगूर की लताये] नही है) लगाये गये हों कि उनसे, या उनके पूर्णतः विकसित हो जाने पर ऐसी भूमि या उसके किसी यथेष्ट भाग का मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग करना असम्भव हो जाय, और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष बाग कहलायेंगे ;

(9) "जोत" का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव सभा के असामी या उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी, अथवा यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 के अधीन शिकमी काश्तकार से भिन्न काश्तकार, या सरकारी पट्टेदार, अथवा यदि शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो, तो सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार के रूप में हों ;

(10) "इण्टरमीडियेट कालेज" का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा इस रूप में मान्यतों प्राप्त कालेज से है ;

[2][(11) "सिंचित भूमि" का तात्पर्य धारा 4–क में निर्धारित रीति से उस रूप में अवधारित भूमि से है ।]

[3][11क–'व्यस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी आयु 18 वर्ष की हो गयी हो, तथा 'अव्यस्क' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो व्यस्क न हो।]

(12) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(13) "नियत प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के पद से नीचे का न हो, और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो तदर्थ निर्दिष्ट किये जायें, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये प्राधिकृत किया जाय ;

(14) "निजी सिंचन संकर्म" का तात्पर्य 15 अगस्त, 1972 के पूर्व निर्मित, निजी नलकूप, या चिरस्थायी जल स्रोत से जल–सम्भरण के लिये डिजल या विद्युत शक्ति से परिचालित निजी लिफ्ट सिंचन संकर्म से है ;

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित। [8 जून, 1973 से रखे गये समझे जायेंगे।]
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 5 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित। [8 जून, 1973 से रखे गये समझे जायेंगे।]
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 3ख द्वारा बढ़ाया गया।

(15) 'state irrigation work' means a canal as defined in the Northern India Canal and Drainage Act, 1873, or a State Tube-well as defined in the United Provinces State Tube-wells Act, 1936, or lift irrigation work constructed, maintained or controlled by the State Government and operated by diesel or electric power for the supply of water from any perennial water source ;

(16) 'surplus land' means land held by a tenure-holder in excess of the ceiling area applicable to him, and includes any buildings, wells and trees existing thereon ;

(17) 'tenure-holder' means a person who is the holder of a holding but [1][except in Chapter III] does not include —

(a) a woman whose husband is a tenure-holder ;

(b) a minor child whose father or mother is a tenure-holder ;

(18) 'unirrigated land' means any land other than [2][irrigated land grove land or usar land] ;

(19) 'University' means a University established by law ;

(20) 'usar land' means land determined to be usar in such manner as may be prescribed ; and

(21) the words and expressions not defined in this Act, but used in the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall have the meanings assigned to them in that Act.]

Determination of area for purposes of ceiling and exemptions

4. [3]**[**For purposes fo determining the ceiling area under Section 5 or any exemption under Section 6 —

1. *Ins.* by *sec.* 3 (c) of U.P. Act No. 2, 1975.
2. *Ins.* by *sec.* 3(d) of U.P. Act No. 2, 1975.
3. Section 4 as follows substituted by *sec.* 4 of U.P. Act no. 18 of 1973 :—

4. Ceiling area — (1) Subject to the provisions of this Act, the ceiling area applicable to a tenure-holder shall be calculated after taking into account all the land in any holding in the State held by him, in his own right, whether in his own name or ostensibly in the name of any other person.

(2) (a) The ceiling area of a tenure-holder shall be forty acres of Fair Quality Land.

(b) Where the tenure-holder has, or consists of a family having more than five members the ceiling area of such tenure-holder shall be the area mentioned in clause (a) together with eight acres fo Fair Quality Land for ever additional member of the family, subject to a maximum of twenty-four such acres ;

Provided that, if it any time the family cones to consist of not more than five members, all land held by the tenure-holder in excess fo the ceiling area under clause (a) shall become liable to be treated as surplus land.

Explanation— In calculating the ceiling area under this sub-section in respect of land other than Fair Quality Land, one and one-half acre, fo such land, the hereditary rate whereof is above rupees four per acre, but does not exceed rupees six per acre, and two acre fo such land the hereditary rate whereof is rupees four or loess per acre, will be deemed to be equal to one acre of air Quality Land.

(15) "राजकीय सिंचन संकर्म" का तात्पर्य नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 में यथापरिभाषित नहर, अथवा संयुक्त प्रान्त राजकीय नलकूप अधिनियम, 1936 में यथापरिभाषित राजकीय नलकूप, अथवा किसी चिरस्थायी जलस्रोत से जल–सम्भरण के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित और डीजल या विद्युत् शक्ति द्वारा परिचालित लिफ्ट सिंचन संकर्म से है ;

(16) "अतिरिक्त भूमि" का तात्पर्य किसी खातेदार द्वारा घृत और उस पर प्रयोज्य अधिकतम भूमि से अधिक भूमि से है तथा उसके अंतर्गत, उस पर विद्यमान किन्हीं इमारतों, कृओं और वृक्षों से भी है ;

(17) "खातेदार" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी जोत का धारक हो, किन्तु [1][सिवाय अध्याय–3 के] इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है ––

(क) कोई महिला जिसका पति खातेदार हो ;

(ख) अवयस्क बच्चा जिसके पिता या माता खातेदार हों ;

(18) "असिंचित भूमि" का तात्पर्य [2][सिंचित भूमि, बाग या ऊसर भूमि] से भिन्न किसी भूमि से है ;

(19) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से है ;

(20) "ऊसर भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे ऐसी रीति से जो नियत की जाय, ऊसर अवधारित किया जाय ; और

(21) जो शब्द तथा पद इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, किन्तु उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिये गये है ।

अधिकतम सीमा तथा विमुक्तियों के प्रयोजनार्थ क्षेत्र का अवधारण

[3][**4**–धारा 5 के अधीन अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने अथवा धारा 6 के अधीन किसी विमुक्ति के प्रयोजनार्थ ––

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 3ग द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 3क द्वारा बढ़ाया गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(i) subject to the provisions of clause (ii), one and-half hectares of unirrigated land or two and a half hectares fo grove-land or two and a half hectares of usar land shall count as one hectare of irrigated land;

(ii) [1][one and one-half hectares of single crop land or two and a half hectares of any other un-irrigated land] in the following areas, namely —

(a) Bundelkhand ;

(b) trans-Jamuna portions of Allahabad, Etawah, Mathura and Agra districts ;

(c) cis-Jamuna portions of Allahabad, Fatehpur, Kanpur, Etawah, Mathura and Agra districts up to 16 kilometers from deep stream of the Jamuna ;

(d) the portion of Mirzapur district south of Kaimur Range ;

(e) Tappa Upraudh and Tappa Chaurasi (Balai Pahar) of Tahsil Sadar in Mirzapur district ;

(f) the portion of Tahsil Robertsganj in Mirzapur district which lies north of Kaimur Range ;

(g) Pargana Sakteshgarh and the villages mentioned in lists 'A' and 'B' of Schedule VI to the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, in hilly patties of Parganas Ahraura and Bhaga of Tahsil Chunar in Mirzapur district ; and

(h) the area comprised in the former Taluka of Naugarh of Tahsil Chakia in Varanasi district ;

(i) hilly and Bhabar areas of Kumaun and Garhwal Division and Jaunsar Bawar Pargana of Dehra Dun district ;

shall count as one hectare of irrigated land]

[2][***Explanation —*** For the purposes of clause (ii), the expression 'single crop land' means any un-irrigated land capable of producing only one crop in an agricultural year in consequence of assured irrigation from any State Irrigation Work or private irrigation work.]

[3][Determination of irrigated land]

[3] **[4-A.** The prescribed authority shall examine the relevant *khasras* for the years 1378 *Fasli*, 1379 *Fasli* and 1380 *Fasli*, the latest village map and such other records as it may consider necessary, and may also make local inspection where it considers necessary, and thereupon if the prescribed authority is of opinion :—

Firstly, (a) that, irrigation facility was available for any land in respect of any crop in any one of the aforesaid years ; by —

---

1. *Subs.* by sec. 4 (a) of U. P. Act 2 of 1975.
2. *Ins.* by sec. 4 (b) of U. P. Act 2 of 1975.
3. *Ins.* by sec. 5 of U. P. Act 2 of 1975.

(1) खण्ड (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, असिंचित भूमि की डेढ़ हेक्टर भूमि या बाग–भूमि की ढाई हेक्टर भूमि अथवा ऊसर भूमि की ढाई हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा ;

(2) निम्नलिखित क्षेत्रों में, अर्थात् ––

(क) बुन्देल खण्ड ;

(ख) इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के यमुनापारी भाग ;

(ग) यमुना की गहरी धारा से 16 किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा जिले के यमुना के इस पार के भाग ;

(घ) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है ;

(ङ) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरीध और टप्पा चौरासी (बलायें पहाड़) ;

(च) मिर्जापुर जिले में राबर्ट्सगंज तहसील का वह भाग, जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है ;

(छ) मिर्जापुर जिले मे परगना संकटेशगढ़ और तहसील चुनार के परगना अहरीरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की अनुसूची 6 की सूची "क" और "ख" में उल्लिखित है ;

(ज) वाराणसी जिले में तहसील चकिया के भूतपूर्व नौगढ़ तालुका का क्षेत्र ;

(झ) कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों के पहाड़ी और भावर क्षेत्र एवं देहरादून जिले का जौनसार बावर परगना ;

[1][किसी एक फसल वाली भूमि की ढेड़ हेक्टर अथवा किसी अन्य असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर भूमि] को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा ।

[2][**स्पष्टीकरण**–– खण्ड (2) के प्रयोजनार्थ पद "एकल फसल वाली भूमि" का तात्पर्य किसी ऐसी असिंचित भूमि से है जिसमें किसी राजकीय सिंचन संकर्म अथवा निजी सिंचन संकर्म से आश्वासित सिंचाई के परिणामस्वरूप किसी कृषि वर्ष में केवल एक फसल उगायी जा सके ।]

सिंचित भूमि का अवधारण

[3][**4–क**– नियत प्राधिकारी वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली के संगत खसरों, गांव के नवीनतम नक्शों तथा ऐसे अन्य अभिलेखों की, जिन्हें वह आवश्यक समझे, जांच करेगा और जहाँ वह आवश्यक समझे स्थानीय निरीक्षण भी कर सकता है, और तदुपरान्त यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि ––

प्रथमतः (क) उपर्युक्त वर्षो में से किसी एक वर्ष में किसी फसल के सम्बन्ध में ––

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 4 (क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 4 (ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया ।

(i) any canal included in Schedule no. 1 of irrigation rates notified in notification no. 1579-W/XXIII—62-W-1946, dated March 31, 1953, as amended from time to time ; or

(ii) any lift irrigation canal ; or

(iii) any State tube-well or a private irrigation work ; and

(b) that at least two crops were grown in such land in any one of the aforesaid years ; or

Secondly, that irrigation facility became available to any land by a State Irrigation Work coming into operation subsequent to the enforcement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, and at least two crops were grown in such land in any agricultural year between the date of such work coming into operation and the date of issue of notice under section 10 ; or

Thirdly, (a) that any land is situated within the effective command area of a lift irrigation canal or a State tube-well or a private irrigation work ; and

(b) that the class and composition of its soil is such that it is capable of growing at least two crops in an agricultural year ;

then the prescribed Authority shall determine such land to be irrigate land for the purposes of this Act.

Explanation I — For the purposes of this section the expression 'effective command area' means an area, the farthest field whereof in any direction was irrigated —

(a) in any of the year, 1378 *Fasli*, 1379 *Fasli* and 1380 *Fasli* ; or

(b) in any agricultural year referred to in the clause 'secondly'.

Explanation II — The ownership and location of a private irrigation work shall not be relevant for the purpose of this section.

Explanation III — Where sugarcane crop was grown on any land in any of the years 1378 Fasli, 1379 Fasli and 1380 Fasli, it shall be deemed the two crops were grown on it in any of these years, and that the land capable of growing two crops in an agricultural year.][1]

---

1. *Ins.* by *sec.* 5 of U.P. Act No. 2 of 1975.

(1) समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्या 1579/डब्लू 23–62 डब्लू–1946, दिनांक 31 मार्च, 1953 में अधिसूचित सिचाई दरों की अनुसूची संख्या 1 में सम्मिलित किसी नहर द्वारा या ;'

(2) किसी लिफ्ट सिंचन नहर द्वारा, या

(3) किसी राजकीय नलकूप या किसी निजी सिंचन संकर्म द्वारा, किसी भूमि के लिये सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी ; और ,

(ख) उपर्युक्त वर्षो में से किसी एक वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसलें उगायी गयी थी ; या

द्वितीयत :–– उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात् परिचालित होने वाले राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा किसी भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गयी और ऐसे संकर्म के परिचालित होने के दिनांक तथा धारा 10 के अधीन नोटिस जारी किये जाने के दिनाँक के बीच किसी कृषि वर्ष में ऐसी भूमि में कम से कम दो फसले उगायी गयी थी ; या

तृतीयत : –– (क) कोई भूमि किसी लिफ्ट सिंचन नहर या राजकीय नलकूप अथवा निजी सिंचन संकर्म के प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र मे स्थित है , और

(ख) उसकी मिट्टी का वर्ग तथा गुण ऐसा है कि उसमें किसी कृषि वर्ष में कम से कम दो फसलें उगायी जा सकती है ;

तो नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि को सिंचित भूमि अवधारित करेगा ।

स्पष्टीकरण–1 –– इस धारा के प्रयोजनार्थ पद "प्रभावकारी कमाण्ड क्षेत्र" का तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जिसका किसी भी दिशा में सबसे दूर का खेत ––

(क) वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी वर्ष में ; या

(ख) खण्ड "द्वितीयत :" में अभिदिष्ट कृषि वर्ष में,

सिंचित किया गया हो ।

स्पष्टीकरण–2 –– किसी निजी सिंचन संकर्म का स्वामित्व तथा उसका अवस्थान इस धारा के प्रयोजनार्थ संगत न होगा ।

स्पष्टीकरण–3 –– जहाँ वर्ष 1378 फसली, 1379 फसली और 1380 फसली में से किसी भी वर्ष में किसी भूमि में गन्ने की फसल उगाई गई हो तो यह समझा जायगा कि इन वर्षो में से किसी भी वर्ष में उस पर दो फसले उगाई गई थी और वह भूमि किसी कृषि वर्ष में दो फसले उगाने योग्य है ।][1]

---

1. उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।

CHAPTER II

Imposition of ceiling on land holdings, exemption and acquisition of surplus land

5. [1][Imposition of ceiling— (1) On and from the commencement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, no tenure-holder shall be entitled to hold in the aggregate, throughout Uttar Pradesh, any land in excess of the ceiling area applicable to him.

[2][***Explanation I —*** In determining the ceiling area applicable to a tenure holder, all land held by him in his own right, whether in his own name, or ostensibly in the name of any other person, shall be taken into account.

Explanation II — [3][If on or before January 24, 1971, any land was held by a person who continues to be in its actual cultivatory possessions and the name of any other person is entered in the annual register after the said date] either in addition to or to the exclusion of the former and whether on the basis of deed of transfer or license or on the basis of a decree, it shall be presumed, unless the contrary is proved to the satisfaction of the prescribed authority, that the first mentioned person continues to hold the land and that it is so held by him ostensibly in the name of the second mentioned person.]

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to land held by the following classes of persons, namely :

(a) the Central Government, the State Government or any local authority or a Government Company or a Corporation ;

(b) a University ;

[4][(c) an intermediate or degree college imparting education in agriculture or a post graduate college ;]

---

1. Section 5 as follows substituted by *sec.* 5 of U.P. Act no. 18 of 1973 :—

CHAPTER II

IMPOSITION OF CEILING ON LAND HOLDINGS, EXEMPTION AND ACQUISITION OF SURPLUS LAND

5. Imposition of ceiling on existing land holdings — (1) As and form the date of enforcement of this Act no tenure-holder shall, except as otherwise provided by this Act, be entitled to hold an area in excess of the ceiling area applicable to him, anything contained in any other law, custom, or usage for the time being in force, or agreement, to the contrary notwithstanding.

(2) In determining the ceiling area applicable to a tenure-holder at the commencement of this Act any transfer or partition of land made after the twentieth day of August, 1959, which but for the transfer ro action would have been declared surplus land under the provisions of this Act, shall be ignored and not taken into account.

(3) The provisions of sub-section (2) shall have no application to

(a) a transfer in favour of the State Government,

(b) a partition under the U. P. Consolidation of Holdings Act, 1953 ; or

(c) a partition of the holding of a Joint Hindu Family made by a suit or proceeding pending on twentieth day of August, 1959.

2. *Ins.* by *sec.* 6(a) of U.P. Act No. 2, 1975.
3. *Subs. by* sec. 6(a) of U.P. Act No. 20, 1976 (demed to have been substitute from January 17, 1975).
4. *Subs.* by sec. 6(b) of U. P. Act 2 of 1975.

अध्याय–2

जोतों पर अधिकतम सीमा का आरोपण विमुक्तियां तथा अतिरिक्त भूमि का अर्जन

अधिकतम सीमा का आरोपण

[1][**5**– (1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, कोई खातेदार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, अपने पर प्रयोज्य कुल अधिकतम क्षेत्र से अधिक कोई भूमि अपने पास रखने का हकदार न होगा।

[2][**स्पष्टीकरण–1** —— किसी खातेदार पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र अवधारित करने में, उसके द्वारा धृत ऐसी समस्त भूमि को जो उसके वैयक्तिक अधिकार मे हो, चाहे उसके नाम में हों या दिखावें के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम में हो, ध्यान में रखा जायगा ।

स्पष्टीकरण–2 —— [3][यदि 24 जनवरी, 1971 को या उसके पूर्व कोई भूमि किसी व्यक्ति के पास थी, जिसका जोतकब्जा उस पर चला आ रहा है और उक्त दिनांक के पश्चात् वार्षिक रजिस्टर में किसी अन्य व्यक्ति का नाम या तो पूर्ववर्ती व्यक्ति के नाम के अतिरिक्त अथवा उसके नाम के स्थान पर और चाहें उसे किसी अन्तरण, विलेख या लाइसेन्स के आधार पर या किसी डिक्री के आधार पर दर्ज किया गया हो तो, जब तक कि नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, यह मान लिया जायगा कि प्रथम उल्लिखित व्यक्ति ही भूमि को धृत किये हुए है और वह उसके द्वारा द्वितीय उल्लिखित व्यक्ति के नाम दिखावे के रूप में धृत है।]

(2) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित वर्गो के व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि पर लागू न होगी, अर्थात् ——

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी कम्पनी या निगम ;

(ख) विश्वविद्यालय ;

[4][(ग) कोई इण्टरमीडिएट या डिग्री कालेज जो कृषि विषयक शिक्षा देता हो या स्नातकोत्तर कालेज ;]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 6(क) द्वारा प्रतिस्थापित। (17 जनवरी, 1975 से प्रतिस्थापित समझा जाएगा।)
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(d) a banking company or a co-operative bank or a co-operative land development bank ;

(e) the Bhoodan Yagna Committee constituted under the U. P. Bhoodan Yagna Act, 1952.

(3) [1][subject to the provisions of sub-section (4), (5), (6) and (7)] the ceiling area for purposes of sub-section (1) shall be —

(a) in the case of a tenure-holder having a family of not more than five members, 7.30 hectares of irrigated land (including land held by other members of his family), plus two additional hectares of irrigated land or such additional land which together with the land held by him aggregates to two hectares, for each of his adult sons, who are either not themselves tenure-holders or who hold less than two hectares of irrigated land, subject to a maximum of six hectares of such additional land ;

(b) in the case of tenure-holder having a family of more than five members, 7.30 hectares of irrigated land (including land held by other members of his family), besides, each of the members exceeding five and for each of his adult sons who are not themselves tenure-holders or who hold less than two hectares of irrigated land, two additional hectares of irrigated land or such additional land which together with the land held by such adult son aggregated to two hectares, subject to a maximum of six hectares of such additional land.

Explanation — The expression 'adult son' in clauses (a) and (b) includes an adult son who is dead and has left surviving behind him minor sons or minor daughters (other than married daughters) who are not themselves tenure-holders or who hold land less than two hectares of irrigated land ;

(c) [2][* * * * *]

(d) [2][* * * * *]

(e) in the case of any other tenure-holder, 7.30 hectares of irrigated land.

Explanation — Any transfer or partition of land which is liable to be ignored under sub-section (6) and (7) shall be ignored also —

(p) for purposes of determining whether an adult son of a tenure holder is himself a tenure-holder within the meaning of [3][clause (a) or clause (b)] ;

(q) for purposes of service of notice under Section 9.

---

1. *Subs.* by *sec.* 6 (c) (i) of U. P. Act 2 of 1975.
2. *Omit.* by sec. 6 (c) (ii) of U. P. Act 2 of 1975.
3. *Subs.* by sec. 6 (c) (iii) of U. P. Act 2 of 1975.

(घ) बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक ;

(ङ) उत्तर प्रदेश भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन संघटित भू–दान यज्ञ समिति ।

(3) [1][उपधारा (4), (5), (6) और (7) के उपबन्धो के अधीन रहते हुए] उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित होगा ––

(क) किसी ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अनधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिसके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसने उनके द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जिसका 5 से अधिक सदस्यों का परिवार हो, सिंचित भुमि के 7.30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ परिवार के प्रत्येक ऐसे सदस्य के लिये जो 5 से अधिक हो तथा प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्र के लिये जो या तो स्वयं खातेदार न हों या जिसके द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टर अथवा उतना अतिरिक्त क्षेत्रफल जिसमें ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 2 हेक्टर होता हो, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी ।

स्पष्टीरकण –– खंड (क) तथा (ख) में, पद "वयस्क पुत्र" के अन्तर्गत ऐसा वयस्क पुत्र भी है जो मृत हो और अपने पीछे अवयस्क पुत्र अथवा (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियां छोड़ गया हो जो या तो स्वयं खातेदार न हो अथवा जिनके द्वारा धृत सिंचित भूमि का क्षेत्रफल 2 हेक्टर से कम हो ।

(ग) [2][* * * *]

(घ) [2][* * * *]

(ङ) किसी अन्य खातेदार की दशा में –– सिंचित भूमि का 7.30 हेक्टर ।

स्पष्टीकरण ––– उपधारा (6) तथा (7) के अधीन उपेक्षणीय भूमि के किसी अंतरण या विभाजन की उपेक्षा निम्नलिखित के लिए भी की जायेगी ––

(त) इस बात के अवधारण के प्रयोजनार्थ कि किसी खातेदार का कोई वयस्क पुत्र [3][इस उपधारा के खण्ड (क) या खण्ड (ख)] के अन्तर्गत स्वयं खातेदार है या नही ;

(थ) धारा 9 के अधीन नोटिस तामील करने के प्रयोजनार्थ ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ग) (1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ग) (2), खण्ड ग व घ निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ग) (3) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(4) Where any holding is held by a firm or co-operative society or other society or association of persons (Whether incorporated or not, but not including a public company), its members (whether called partners, share-holders or by any other name) shall, for purposes of this Act, be deemed to hold that holding in proportion to their respective shares in that firm, co-operative society or other society or association of persons.

[1][Provided that where a person immediately before his admission to the firm, co-operative society, or other society or association of persons, held no land or an area of land less than the area proportionate to his aforesaid share then he shall be deemed to hold no share, or as the case may be, only the lesser area in that holding, and the entire or the remaining area of the holding, as the case may be, shall be deemed to be held by the remaining members in proportion to their respective share in the firm, co-operative society, or to other society or association of persons.]

(5) In respect of any holding held by any private trust —

(a) where the shares of its beneficiaries in the income from such trust are known of determinable, the beneficiaries shall, for purposes of this Act, be deemed to have the shares in that holding in the same proportions as their respective shares in the income from such trust ;

(b) in any other case, it shall be governed by [2][clause (e)] of sub-section (3).

(6) In determining the ceiling area applicable to a tenure-holder, any transfer of land made after the twenty-fourth day of January, 1971 which but for the transfer would have been declared surplus land under this Act, shall be ignored and not taken into account ;

(a) a transfer in favour of any person (including Government) referred to in sub-section (2) ;

(b) a transfer proved to the satisfaction of the prescribed authority to be in good faith and for adequate consideration and under an irrevocable instrument not being a *benami* transaction or for the immediate or deferred benefit of the tenure-holder or other members of his family.

[3][***Explanation I*** — For the purposes of this sub-section, the expression 'transfer of land made after the twenty-fourth day of January, 1971', includes —

[4][(a) a declaration of a person as a co-tenure-holder made after the twenty-fourth day of January, 1971, in a suit, or proceeding irrespective of whether such suit or proceeding was pending on or was instituted after the twenty-fourth day of January, 1971] ;

---

1. *Ins.* by *sec.* 6(d) of U. P. Act 2 of 1975.
2. *Subs.* by *sec.* 6(e) of U. P. Act 2 of 1975.
3. *Ins.* by sec. 6(f) of U. P. Act 2 of 1975. (explanation renumbered and inserted)
4. *Subs.* by *sec.* 6(b) of U.P. Act No. 20 of 1976.

(4) यदि कोई जोत किसी फर्म या सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय (चाहे वह निगमित हो या नहीं किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक कम्पनी नहीं है), द्वारा धृत हो तो उस जोत को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके सदस्यों द्वारा (चाहे वे भागीदार, अंशधारी या किसी अन्य नाम से कहे जाते हों) उक्त फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के अन्य समुदाय में उनके अपने–अपने अंश के अनुपात में धृत समझा जायगा।

[1][प्रतिबन्ध यह है कि यदि फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में किसी व्यक्ति की प्रविष्टि के ठीक पूर्व, उसके पास कोई भूमि धृत न हो अथवा उसके पास उपर्युक्त अंश के अनुपात से कम क्षेत्रफल की भूमि धृत हो, तो उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि, यथास्थिति, उसका उस जोत में कोई अंश नहीं है या अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल है, और यथास्थिति, सम्पूर्ण जोत या उसके शेष क्षेत्रफल के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह शेष सदस्यों द्वारा फर्म, सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के समुदाय में उनके अपने–अपने अनुपात में धृत है।]

(5) किसी असार्वजनिक न्यास द्वारा धृत किसी जोत के सम्बन्ध में, ––

(क) यदि ऐसे न्यास की आय में उसके लाभार्थियों का अंश ज्ञात अथवा अवधार्य हो, तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस जोत में लाभार्थियों का अंश उसी अनुपात में समझा जायगा जिस अनुपात मे ऐसे न्यास की आय मे उनका अलग–अलग अंश हो ;

(ख) किसी अन्य दशा में यह उपधारा (3) के [2][खण्ड (ङ)] द्वारा नियंत्रित होगा ।

(6) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में, दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अंतरण की, जो ऐसा अंतरण न होने की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गई होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नही की जायगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी ––

(क) उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत सरकार भी है) के पक्ष में कोई अंतरण ;

(ख) कोई अंतरण जो नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया सिद्ध हो तथा ऐसे अप्रतिसंहरणीय संलेख के अधीन हो, जो बेनामी अंतरण न हो या खातेदार अथवा उसके परिवार के सदस्यों के तात्कालिक या आस्थगित लाभ के लिये न हो ।

[3][**स्पष्टीकरण** –1–– इस उपधारा के प्रयोजनार्थ पदावली "दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अन्तरण" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है : ––

[4][(क) किसी वाद या कार्यवाही में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति की सह–खातेदार के रूप में घोषित किया जाना भले ही ऐसा वाद या ऐसी कार्यवाही 24 जनवरी, 1971 को विचाराधीन थी अथवा उसके पश्चात् संस्थित की गयी थी];

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(घ) द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(च) द्वारा बढ़ाया गया तथा स्पष्टीकरण पुनःसंख्याकिंत किया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 6(ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] [(b) any admission, acknowledgment, relinquishment or declaration in favour of a person to the life effect, made in any other deed or instrument or in any other manner.]

Explanation II — The burden of proving that a case falls within clause (b) of the proviso shall rest with the party claiming its benefit.

(7) In determining the ceiling area applicable to a tenure-holder, any partition of land made after the twenty-fourth day of January, 1971 which but for the partition would have been declared surplus land under this Act shall be ignored and not taken into account ;

Provided that nothing in this sub-section shall apply to —

(a) [2][* * * *]

(b) a partition of a holding made in a suit or a proceeding pending on the said date ;

Provided further that notwithstanding anything contained in the preceding proviso, the prescribed authority, if it is of opinion that by collusion between the tenure-holder and any other party to the partition, such other party has been given a share which he was no entitled to, or a larger share than he was entitled to, may ignore such partition.

[3][***Explanation I —*** If a suit is instituted after the said date for declaration that a partition of land has taken place on or before the said date, then such declaration shall be ignored and not be taken into account, and it shall be deemed that no partition has taken place on or before the said date.]

Explanation II — The burden of proving that a case falls within the first proviso shall rest with the party claiming its benefit.]

[4]**[**(8) Notwithstanding anything contained in sub-sections (6) and (7), no tenure-holder shall transfer any land held by him during the continuance of proceedings for determination of surplus land in relation to such tenure-holder and every transfer made in contravention of this sub-section shall be void.

Explanation–For the purposes of this sub-section, proceedings for determination of surplus land shall be deemed to have commenced on the date of publication of notice under sub-section (2) of section 9 and shall be deemed to have concluded on the date when an order in relation to such tenure-holder is passed under sub-section (1) of section 11 or under sub-section (1) of section 12 or as the case may be, under section 13].

Exemption of certain land from the imposition of ceiling

6. [5]**[**(1) Notwithstanding anything contained in this act, land falling in any of the categories mentioned below shall not be taken into

1. *Ins.* by *sec.* 6(f) of U.P. Act No. 2 of 1975.
2. *Omit.* by sec. 6(c) of U. P. Act 20 of 1976.
3. *Ins.* by sec. 6(g) of U. P. Act 2 of 1975. Explanation 2 renumbered.
4. *Ins.* by *sec.* 6(d) of U.P. Act No. 20 of 1976.
5. *Subs.* by *sec.* 6 of U.P. Act No. 18 of 1973.

[1][(ख) किसी अन्य विलेख या संलेख में अथवा किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति के पक्ष में की गयी सम्प्रभावी कोई स्वीकृति, अभिस्वीकृति या त्याग अथवा घोषणा ।]

स्पष्टीकरण–2–– यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा ।

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी विभाजन की, जो ऐसा विभाजन न हो, की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नही की जायगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप–धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी ––

(क) [2][* * * *]

(ख) उक्त दिनांक को विचाराधीन किसी वाद या किन्हीं कार्यवाहियों में किया गया जोत का विभाजन ;

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि खातेदार और विभाजन के किसी दूसरे पक्ष के बीच दूरभिसंधि के कारण ऐसे दूसरे पक्ष को ऐसा अंश दिया गया है जिसके लिये वह हकदार नहीं था, अथवा जितने के लिये वह हकदार था उससे अधिक अंश दिया गया है, तो वह ऐसे विभाजन की उपेक्षा कर सकता है ।

[3][**स्पष्टीकरण–1––** यदि उक्त तिथि के पश्चात् कोई वाद इस घोषणा के लिये संस्थित किया जाय कि उक्त तिथि को या उससे पूर्व किसी भूमि का बटवारा हो चुका हो तो ऐसी घोषणा की उपेक्षा की जायेगी और उस पर विचार नहीं किया जायगा और यह समझा जायगा कि उक्त तिथि को या उसके पूर्व कोई बटवारा नहीं हुआ है ।]

स्पष्टीकरण–2–– यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत आता है उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा ।

[4][(8) उपधारा (6) तथा (7) में किसी बात के होते हुये भी, कोई खातेदार अपने विषय में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिये कार्यवाही पर्यन्त अपने खाते की किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा और इस उपधारा के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।]

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि अतिरिक्त भूमि के अवधारण की कार्यवाही धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के दिनांक को प्रारम्भ हुई और उस दिनांक को समाप्त हुई, जबकि ऐसे खातेदार के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन या, यथास्थिति धारा 13 के अधीन आदेश दिया जाय।]

अधिकतम सीमा के आरोपण से कतिपय भूमि की विमुक्ति

[5][**6–** (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर, किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6 (च) द्वारा पुनःसंख्यांकित तथा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 6(ग) द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 6(छ) द्वारा बढ़ाया गया तथा स्पष्टीकरण (2) को पुनःसंख्यांकित किया गया।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 6(घ) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

falling in any of the categories mentioned below shall not be taken into consideration for the purposes of determining the ceiling area applicable to, and the surplus land of a tenure-holder, namely —

(a) land used for an industrial purpose (that is to say, for purposes of manufacture, preservation, storage or processing of goods), and in respect of which a declaration under Section 143 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, subsists ;

(b) land occupied by a residential house ;

(c) land used as cremation ground or as a grave—yard, but excluding cultivated land ;

(d) land used for tea, coffee or rubber plantations, and to the extent prescribed, land required for purposes ancillary thereto and for development of such plantations ;

(e) land held from before January 24, 1971 for purposes of a stud farm to the extent prescribed ;

(f) land held from before the first day of May, 1959, by or under a public religious or charitable waqfs, trust, endowment, or institution the income from which is wholly utilized for religious or charitable purposes, and not being a waqf, trust or endowment of which the beneficiaries wholly or partly are settler or members of his family or his descendants ;

[1][(g) land held from before June 8, 1973 by a Goshala of a public nature, registered under the Uttar Pradesh Goshala Adhiniyam, 1964, to the extent prescribed ;]

(h) [2][* * * * *]

[3][*Explanation* — Nothing in clause (f) of sub-section (1) shall apply in relation to a Goshala referred to in clause (g) of that sub-section;]

[4][(2) No person shall transfer any land referred to in clause (d) or clause (e) or clause (f) or clause (g) of sub-section (1) without prior permission of the State government, and every transfer made without such permission shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be void ;

Provided that nothing in this sub-section shall apply to any transfer by or in favour of any person specified in sub-section (2) of section 5.

1. *Subs.* by sec. 7(a) of U. P. Act 2 of 1975.
2. *Omit.* by sec. 6(b) of U. P. Act 2 of 1975.
3. *Ins.* by sec. 7(a) of U. P. Act 20 of 1976.
4. *Ins.* by sec. 7(b) of U. P. Act 20 of 1976. (Always to have been)

अधिकतम क्षेत्र का और उसकी अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, विचार नहीं किया जायगा, अर्थात् ––

(क) वह भूमि जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये (अर्थात् माल के निर्माण, परिरक्षण, भंडारकरण या प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ) प्रयुक्त हो और जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 143 के अधीन घोषणा विद्यमान हो ;

(ख) वह भूमि जो आवास–गृह द्वारा अभ्यासित हो ;

(ग) वह भूमि जो श्मशान या कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि भूमि नही है ;

(घ) वह भूमि जो चाय, काफी या रबर प्लान्टेशनों के लिये प्रयुक्त हो, और वह भूमि जो नियत सीमा तक उससे संलग्न प्रयोजनों के लिये तथा ऐसे प्लान्टेशनों के विकास के लिये अपेक्षित हो ;

(ङ) वह भूमि जो चौबीस जनवरी, 1971 के पहले से किसी स्टड फार्म के प्रयोजनों के लिए नियत सीमा तक घृत हो ;

(च) वह भूमि जो पहली मई, 1959 के पहले से किसी ऐसे सार्वजनिक धार्मिक अथवा पूर्व वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था द्वारा या उसके अधीन घृत हो, जिसकी आय का पूर्ण उपयोग धार्मिक या पूर्व प्रयोजनों के लिए किया जाता हो और वह ऐसा वक्फ, न्यास या विन्यास न हो जिसका पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभार्थी उसका संस्थापक या उसके परिवार के सदस्य या उसके वंशज हों ;

[1][(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक (उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत) सार्वजनिक प्रकार की गोशाला द्वारा 8 जून, 1973 के पहले से घृत ;]

(ज) [2][* * * * *]

[3][**स्पष्टीकरण** :– उपधारा (1) के खंड (च) की कोई बात उक्त उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट गोशाला के सम्बन्ध में लागू न होगी ।]

[4][(2) कोई व्यक्ति राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ड़) या खंड (च) या खंड (छ) में निर्दिष्ट किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा, और ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक अन्तरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, शून्य होगा ;]

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किसी अन्तरण पर लागू न होगी ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 7(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 7(ख) द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 7(क) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 7(ख) द्वारा बढ़ाया गया । (सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाएगी)।

(3) Any land which is the subject of any transfer which by virtue of sub-section (2) is void, shall be deemed to be surplus land, and shall, with effect from October 10, 1975 or the date of such purported transfer, whichever is later, stand transferred to and vest in the State Government free from all encumbrances, and all rights, title and interests of all persons in such land shall stand extinguished ;

Provided that the encumbrances, if any, shall be attached to the amount payable under section 17 in substitutions for the surplus land.

(4) Where any land is deemed to be surplus land under sub-section (3) —

[1][(i) the provisions of section 14 shall mutatis mutandis apply in relation to such land with the substitution of references to the dates mentioned in sub-section (1) of that section by references to the date mentioned in sub-section (1) of this section ; and]

(ii) the amount payable therefor under section 17 shall be paid to the person in whose favour such transfer was purported to be made.]

Bar of suit on basis of certain contracts for transfer of land

7. [2]**[**No suit shall lie for the specific performance of any contract for transfer of any land where such transfer is liable to be ignored under sub-section (6) of Section 5.]

Rights of tenure holder and other members of his family in land held within ceiling area

8. [3]**[—** Where the land held by the wife or minor son or daughter of a tenure-holder has been aggregated with the land held by the tenure-holder's family under [4][clause (a) or clause (b)] of sub-section (3) of Section 5, the land left with them shall be deemed to be held jointly by them in proportion to the market value of the land respectively held by them before the declaration of surplus land under this Act.]

---

1. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act 56 of 1976.

2. *Subs.* by sec. 3 of Act no. 18 of 1973 ;

3. *Subs.* by sec. 3 of U.P. Act no. 18 of 1973.

4. *Subs.* by *sec.* 8 of U. P. Act 2 of 1975.

"7. Exemption of land under cultivation of Pan, Keora, Bela etc.— Notwithstanding anything contained in this Act, the land of a tenure holder used for cultivation of Pan, Keora, Bela Chameli or Gulah where such person—

(a) has no land used for any other cultivation, by

(b) declares all the land used for other cultivation as surplus land under section 9 and 10, shall be exempt from the imposition of ceiling.

8. Exemption of the land of an asami mentioned in section 11 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and of a sub-lessee of Government lessee, mentioned in clause (d) of section 3-(1) Notwithstanding anything contained in this Act, land of a bhumidhar compressed in the holding of his asami and the land of a Government lessee comprised in the holding of his sub-lessee shall not up to the limit of the ceiling area applicable to such asami or sub-lessee be taken into account in determining the ceiling area of the bhumidhar or the Government lessee as the case may be.

(2) Any land of a Bhumidhar or a Government lessee comprised in the holding of an asami or sub-lessee declared as surplus land of the asami or the sub-lessee may at the request of the bhumidhar of the Government lessee be settled with the bhumidhar or the Government lessee up to the limit of the ceiling area applicable to bhumidhar or the Government lessee on payment by him or compensation payable to the asami or the sub-lessee, as the case may be, under the provisions of this Act."

(3) किसी भूमि को, जो किसी ऐसे अन्तरण का विषय हो, जो उप धारा (2) के आधार पर शून्य है, अतिरिक्त भूमि समझा जायगा, और वह दिनांक 10 अक्टूबर, 1975 या ऐसे तात्पर्यित अन्तरण के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेगी, और उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, अग्रिम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे ;

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा ।

(4) जहाँ कोई भूमि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि समझी जाय ––

[1][(1) ऐसी भूमि के सम्बन्ध में धारा 14 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित इस प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे कि उक्त धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित दिनांकों के प्रति निर्देशो के स्थान पर इस धारा की उपधारा (1) में उल्लिखित दिनांक के प्रति निर्देश समझा जायगा ; और]

(2) धारा 17 के अधीन उसके लिये देय राशि उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके पक्ष में ऐसा अन्तरण करना तात्पर्यित हो ।]

भूमि के अंतरण के लिये कतिपय संविदाओं के आधार पर वाद सम्बन्धी रोक

[2]**[7–** किसी भूमि के अंतरण के लिए, यदि ऐसा अंतरण धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन उपेक्षणीय हो, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किये जाने के लिए कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायगा ।

अधिकतम सीमा क्षेत्र में धृत भूमि में खातेदार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार

[3]**[8–** यदि खातेदार की पत्नी या अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री द्वारा धृत भूमि को धारा 5 की उपधारा (3) के [4][खण्ड (क) या खण्ड (ख)] के अधीन खातेदार के परिवार द्वारा धृत भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है तो उनके पास बची भूमि को, उनके द्वारा संयुक्त रूप में, इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित किये जाने के पूर्व उनके द्वारा क्रमशः धृत भूमि के बाजार मूल्य के अनुपात में, धृत भूमि समझा जायगा ।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित ।

General notice to tenure-holders holdings land in excess of ceiling area for submission of statement in respect thereof

9. [(1)— (1) As soon as may be, after the date of enforcement of this Act, the Prescribed Authority shall, by general notice, published in the Official Gazette, call upon every tenure-holder holding land in excess of the ceiling area applicable to him on the date of enforcement of this act, to submit to him within 30 days of the date of publication of the notice, a statement in respect of all his holdings in such form and giving such particulars as may be prescribed. The statement shall also indicate the plot or plots for which he claims exemption and also those which he would like to retain as part of the ceiling area applicable to him under the provisions of this Act.]

[1] [(2) As soon as may be after the enforcement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, the prescribed authority shall, by like general notice, call upon every tenure-holder holding land in excess of the ceiling area applicable to him on the enforcement of the said Act, to submit to him within 50 days of publication of such notice, a statement referred to in sub-section (1).

[2] [Provided that at any time after October 10, 1975, the Prescribed Authority may, by notice, call upon any tenure-holder holding land in excess of the ceiling area applicable to him on the said date, to submit to him within thirty days from the date of service of such notice a statement referred to in sub-section (1) or any information pertaining thereto.]

[3][(2-A) Every tenure-holder holding land in excess of the ceiling area on January 24, 1971, or at any time thereafter who has not submitted the statement referred to in sub-section (2) and in respect of whom no proceedings under this act is pending on October 10, 1975 shall, within thirty days from the said date furnish to the Prescribed Authority a statement containing particulars of all land —

(a) held by him and the members of his family on January 24, 1971 ;

---

1. Section 9 of the Principal Act re-numbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1), sub-section (2) and (3) inserted by *sec.* 4 of U.P. Act no. 18 of 1973.
2. *Ins.* by sec. 8(a) of U. P. Act 20 of 1976.
3. *Ins.* by sec. 8(b) of U. P. Act 20 of 1976.

उन खातेदारों को जिसके पास अधिकतर क्षेत्र से अधिक भूमि हो, उसके सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत करने के लिए सामान्य नोटिस

9– [(1) इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र नियत प्राधिकारी, सरकारी गजट में सामान्य नोटिस प्रकाशित करके, ऐसे प्रत्येक खातेदार से, जिसके पास इस अधिनियम के प्रवर्तन के दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा करेगा कि वह उसे (प्राधिकारी को) उक्त नोटिस के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर ऐसे आकार में तथा ऐसे ब्यौरों सहित, जो नियत किये जाये, अपनी समस्त जोतों के सम्बन्ध में एक विवरण प्रस्तुत करे । विवरण में वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायेंगे जिसके या जिनके लिये वह विमुक्ति का दावा करे और वे गाटे भी दिखाये जायेंगे जिन्हें कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहें।

[1][(2) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, नियत प्राधिकारी, तत्सदृश सामान्य नोटिस द्वारा प्रत्येक ऐसे खातेदार को जिसके पास उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने पर उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, ऐसी नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, उपधारा (1) में अभिदिष्ट विवरण–पत्र प्रस्तुत करने को कहेगा।

[2][प्रतिबन्ध यह है कि 10 अक्टूबर, 1975 के पश्चात् किसी समय नियत प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसे खातेदार से जिसके पास उक्त दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नियत प्राधिकारी को ऐसी नोटिस की तामील के दिनाँक से तीस दिन के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण या उससे सम्बन्धित कोई सूचना प्रस्तुत करे।]

[3][(2–क) प्रत्येक खातेदार जिसके पास 24 जनवरी, 1971 को, या उसके पश्चात् किसी समय अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो और जिसने उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत न किया हो और जिसके सम्बन्ध में 10 अक्टूबर, 1975 को इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही विचाराधीन न हो, उक्त दिनाँक से तीस दिन के भीतर नियत प्राधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमे ––

(क) 24 जनवरी, 1971 को उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत,

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 4 से मूल अधिनियम की धारा 9 को पुनःसंख्याकित करके उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित, तत्पश्चात उपधारा 2 और 3 बढ़ायी गयी।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 8(क) प्रतिबन्ध द्वारा बढ़ाया गया ।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 8(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।

(b) acquired or disposed of by him or by members of his family between January 24, 1971 and October 10, 1975.][1]

(3) Where the tenure-holder's wife holds any land which is liable to be aggregated with the land held by the tenure-holder for purposes of determination of the ceiling area, the tenure-holder shall, along with his statement referred to in sub-section (1), also file the consent of his wife to the choice in respect of the plot or plots which they would like to retain as part of the ceiling area applicable to them and where his wife's consent is not so obtained, the prescribed authority shall cause the notice under sub-section (2) of Section 10 to be served on her separately.]

Notice to tenure-holders failing to submit a statement or submitting an incomplete or incorrect statement

10. (1) In every case where a tenure-holder fails to submit a statement or submits an incomplete or incorrect statement, required to be submitted under Section 9, the Prescribed Authority shall, after making such enquiry as he may consider necessary either by himself or by any person subordinate to him, cause to be prepared a statement containing such particulars as may be prescribed. The statement shall in particular indicate the land, if any, exempted under [2][Section 6] and the plot --- proposed to be declared as surplus land.

(2) the Prescribed Authority shall thereupon cause to be served upon every such tenure-holder in such manner as may be prescribed, a notice together with a copy of the statement prepared under sub-section (1) calling upon him to show cause within a period specified in the notice, why the statement be not taken as correct. The period specified shall not be less than ten days from the date of service of the notice.

Determination of surplus land where no objection is filed

11. (1) Where the statement submitted by a tenure-holder in pursuance of the notice published under Section 9, is accepted by the Prescribed Authority or where the statement prepared by the Prescribed Authority under Section 10, is not disputed within the specified period, the Prescribed Authority shall accordingly, determine the surplus land of the tenure-holder.

(2) The Prescribed Authority shall, on application made within thirty days, from the date of the order under sub-section (1) by a tenure-holder aggrieved by such order passed in his absence and on sufficient cause being shown for his absence, set aside the order and allow such tenure-holder to file objection against the statement prepared under Section 10 and proceed to decide the same in accordance with the provisions of Section 12.

---

1. *Ins.* by *sec.* 8(b) of U.P. Act No. 20 of 1976.
2. *Subs.* by *sec.* 5 of U.P. Act No. 18 of 1973.

(ख) 24 जनवरी, 1971 और 10 अक्टूबर, 1975 के बीच उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित या निस्तारित, समस्त भूमि का ब्यौरा दिया जायगा।][1]

(3) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित किये जाने के योग्य हो, तो खातेदार उपधारा (1) में अभिदिष्ट अपने विवरण–पत्र के साथ ऐसे प्लाट या प्लाटों को रखने के सम्बन्ध में जिन्हें वे अपने सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहे, अपनी पत्नी की सम्मति भी प्रस्तुत करेगा और यदि उसकी पत्नी की सम्मति इस प्रकार प्राप्त न हो, तो नियत प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन उस (पत्नी) पर पृथक रूप से नोटिस तामील करायेगा ।]

विवरण प्रस्तुत न करने वाले या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने वाले खातेदारों को नोटिस

10–(1) यदि कोई खातेदार धारा 9 के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिये अपेक्षित कोई विवरण प्रस्तुत न करे या अपूर्ण अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करे तो ऐसी प्रत्येक दशा में नियत प्राधिकारी या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति के माध्यम से ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, एक विवरण तैयार करवायेगा जिसमें ऐसे ब्यौरे दिये होंगे जो नियत किये जाये । इस विवरण में विशेष रूप से [2][धारा 6 के अधीन] विमुक्ति भूमि, यदि कोई हो दिखाई जायगी तथा वह गाटा या वे गाटे भी दिखाये जायेंगे जिसे या जिन्हें अतिरिक्त भूमि घोषित करने का विचार हो ।

(2) तत्पश्चात् नियत प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये विवरण की एक प्रति के सहित एक नोटिस, ऐसी रीति से जो नियत की जाय, प्रत्येक ऐसे खातेदार पर तामील करायेगा, जिसमें उससे कहा जायगा कि वह उस नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण प्रकट करें कि विवरण क्यों ठीक न मान लिया जाय । निर्दिष्ट अवधि नोटिस की तामील के दिनांक से दस दिन से कम की न होगी ।

आपत्ति प्रस्तुत न किये जाने पर अतिरिक्त भूमि का अवधारण

11–(1) यदि धारा 9 के अधीन प्रकाशित नोटिस के अनुसरण में किसी खातेदार द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर दिया जाय अथवा यदि धारा 10 के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये विवरण पर निर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्ति न की जाय तो नियत प्राधिकारी खातेदार की अतिरिक्त भूमि तदनुसार अवधारित करेगा ।

(2) नियत प्राधिकारी ऐसे खातेदार द्वारा जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, प्रार्थना दिये जाने पर और उसकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उस खातेदार को धारा 10 के अधीन तैयार किये गये विवरण के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति देगा और धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार उसका निर्णय करने के लिये कार्यवाही करेगा ।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 8(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) Subject to the provisions of sub-section (2) and Section 13 the order of the Prescribed Authority shall be final and conclusive and be not questioned in any court of law.

Determination of the surplus land by the Prescribed Authority where an objection is filed

12. (1) Where an objection has been filed under sub-section (2) of Section 10 or under sub-section (2) of Section 11, or because of any appellate order under Section 13, the Prescribed Authority shall, after affording the parties reasonable opportunity of being heard and of producing evidence, decide the objections after recording his reasons, and determine the surplus land.

(2) Subject to any appellate order under Section 13, the order of the Prescribed Authority under sub-section (1) shall be final and conclusive and be not questioned in any court of law.

[1]**[12-A.** In determining the surplus land under section 11 or section 12, the prescribed authority shall, as far as possible accept the choice indicated by the tenure-holder to the plot or plots which he and other members of his family if any would like to retain as part of the ceiling area applicable to him or them under the provisions of this Act, whether indicated by him in his statement under Section 9 or in any subsequent proceedings ;

Provided that —

(a) the prescribed authority shall have regard to the compactness of the land to be included in the ceiling area applicable to the tenure-holder ;

(b) where the tenure-holder's wife holds any land which is aggregated with the land held by the tenure-holders for purposes of determination of the ceiling area, and his wife has not consented to the choice indicated by the tenure-holder as to the plot or plots to be retained as part of the ceiling area applicable to them, then the prescribed authority shall, as far as possible, declare the surplus land in such, manner that the area taken out of the land held by the tenure-holder's wife bears to the total surplus area the same proportion as the area originally held by her bore to the total land held by the family ;

(c) where any person holds land in excess of the ceiling area including any land mortgaged to the State Government or to a [2][bank as defined in clause (c) of section 2 of the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973] or to a co-operative land development bank or other co-operative society or to the Corporation or to a Government Company, the surplus land to be determined shall, as far as possible, be land other than that so mortgaged ;

---

1. *Inserted* by *sec.* 6 of U. P. Act no. 18 of 1973.
2. *Subs*. by sec. 9(1) of U. P. Act 20 of 1976. (shall be deemed to have been substituted from March 31, 1975.)

(3) उपधारा (2) और धारा 13 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियत प्राधिकारी का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

आपत्ति प्रस्तुत की जाने पर नियत प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त भूमि का अवधारण

12–(1) यदि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन अथवा धारा 13 के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के परिणाम–स्वरूप कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई हो तो नियत प्राधिकारी पक्षों को सुनवाई का और साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपने कारणों को अभिलिखित करके आपत्तियों का निर्णय करेगा तथा अतिरिक्त भूमि अवधारित करेगा ।

(2) धारा 13 के अधीन अपील में दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुये उपधारा (1) के अधीन नियत प्राधिकारी का आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और उस पर किसी विधि–न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

कतिपय मामलों के सिवाय खातेदार का विकल्प माना जाना

[1]**[12–क–** धारा 11 या धारा 12 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने में नियत प्राधिकारी, यथासम्भव, खातेदार द्वारा प्लाट या प्लाटों के सम्बन्ध में जिन्हें वह और उसके परिवार के अन्य सदस्य, यदि कोई हों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने पर या उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहें, इंगित विकल्प को स्वीकार करेगा, चाहे वह उसके द्वारा धारा 9 के अधीन अपने विवरण–पत्र में या किन्हीं अनुवर्ती कार्यवाहियों में इंगित किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ––

(क) नियत प्राधिकारी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र मे सम्मिलित की जाने वाली भूमि की संपाश्विकता को ध्यान मे रखेगा ;

(ख) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित की गई हो, और उसकी पत्नी ने उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखे जाने वाले प्लाट या प्लाटों के संबंध में खातेदार द्वारा इंगित विकल्प के बारे में सम्मति न दी हो, तो नियत प्राधिकारी, यथासम्भव, ऐसी रीति से अतिरिक्त भूमि घोषित करेगा कि खातेदार की पत्नी द्वारा धृत भूमि में से लिये जाने वाले क्षेत्र का कुल अतिरिक्त क्षेत्र में वही अनुपात हो जो उसके (पत्नी) द्वारा मूलतः धृत क्षेत्र का परिवार द्वारा धृत कुल भूमि में हो ;

(ग) यदि किसी व्यक्ति के पास राज्य सरकार या [2][उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी बैंक] या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक या अन्य सहकारी समिति या निगम या किसी सरकारी कम्पनी के पास गिरवी रखी गई भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासम्भव, इस प्रकार गिरवी रखी गई भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायगी ;

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 9(1) द्वारा प्रतिस्थापित। (31 मार्च, 1975 से रखे गये समझे जायेंगे)।

(d) where any person holds land in excess of the ceiling area including land which is the subject of any transfer or partition referred to in sub-section (6) or sub-section (7) of Section 5, the surplus land determined shall, as far as possible be land other than land which is the subject of such transfer or partition, and if the surplus land includes any land which is the subject of such transfer or partition, the transfer or partition shall, in so far as it relates to the land included in the surplus land, be deemed to be and always to have been void, and —

(i) it shall be open to the transferee to claim refund of the proportionate amount of consideration, if any, advanced by him to the transferor, and such amount shall be charged on the [1][amount] retained by the transferor within the ceiling area, which shall be liable to be sold in satisfaction of the charge, notwithstanding anything contained in Section 153 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 ;

(ii) any party to the partition (other than the tenure-holder in respect of whom the surplus land has been determined) whose land is included in surplus land of the said tenure-holder shall be entitled to have the partition re-opened.]

Appeals

13. (1) Any party aggrieved by an order under sub-section (2) of Section 11 of Section 12, may, within thirty days of the date of the order, prefer an appeal to the [2][Commissioner] within whose jurisdiction the land or any part thereof is situate.

(2) The [2][Commissioner] shall dispose of the appeal as expeditiously as possible and his decision thereon shall be final and conclusive and be not questioned in any court of law.

(3) Where an appeal is preferred under this section, the [2][Commissioner] may stay enforcement of the order appealed against for such time and on such conditions as may be considered just and proper:

[3][Provided that the enforcement of the order appealed against shall not be stayed in respect of that part of the land, the surplus character of which was either not disputed in an objection under sub-section (2) of Section 10 or under sub-section (2) of Section 11 or is not disputed in the appeal of any stay order passed under this sub-section (2) of Section 11 or is not disputed in the appeal of any stay order passed under this sub-section before twenty-eighth day of September, 1970, shall on an application being made in that behalf to the appellate court by the State Government, be modified by that court accordingly.

1. *Subs.* by sec. 9 (ii) of U. P. Act no. 20 of 1976. (deemed to be always have been substituted)
2. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act no. 3 of 1986.
3. *Ins.* by *sec.* 8 U. P. Act no. 35 of 1970.

(घ) यदि किसी व्यक्ति के पास, धारा 5 की उपधारा (6) या उपधारा (7) में अभिदिष्ट किसी अंतरण या विभाजन विषयक किसी भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासम्भव, ऐसे अंतरण या विभाजन विषयक भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायेगी, और यदि अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो ऐसे अंतरण या विभाजन का विषय हो तो ऐसा अंतरण या विभाजन, जहाँ तक उसका सम्बन्ध अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित भूमि से है, शून्य समझा जायगा और सदैव से शून्य होगा ; और ––

(1) अंतरिती अपने द्वारा अंतरक को अग्रिम दिये गये प्रतिफल की आनुपातिक धनराशि को, यदि कोई हो, लौटाने के लिए दावा कर सकता है, और यह धनराशि धारा 17 के अधीन अंतरक को देय [1][राशि] पर और अधिकतम क्षेत्र के भीतर अंतरक द्वारा रखी गई किसी भूमि पर भी भारित होगी और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 153 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमि को उस प्रभार की पुष्टि के लिये बेचा जा सकेगा ;

(2) विभाजन से सम्बन्धित (ऐसे खातेदार जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित की गयी हो, से भिन्न) कोई पक्ष जिसकी भूमि उक्त खातेदार की अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित की गयी हो, विभाजन को फिर से कराने का हकदार होगा।]

13–(1) धारा 11 की उपधारा (2) या धारा 12 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस [2][आयुक्त] के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसके अधिक्षेत्र मे वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

(2) [2][आयुक्त] अपील को यथाशक्य शीघ्र निस्तारित करेगा तब उस पर उसका निर्णय अन्तिम और निश्चायक होगा और किसी विधि–न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायगी ।

(3) यदि इस धारा के अधीन अपील की जाय तो [2][आयुक्त] उस आदेश के प्रवर्तन को, जिसके विरुद्ध अपील की गई हो, ऐसे समय के लिये और ऐसी शर्तों पर स्थगित कर सकता है जो ठीक और उचित समझी जाये :

[3][प्रतिबन्ध यह है कि भूमि के उस भाग के संबंध में, जिसके अतिरिक्त होने के बारे में या तो धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन आपत्ति में विवाद नही उठाया गया था अथवा अपील में विवाद न उठाया गया हो उस आदेश का प्रवर्तन, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, स्थगित नही किया जायगा, और अट्ठाइस सितम्बर, 1970 के पूर्व इस उपधारा के अधीन दिया गया कोई स्थगन आदेश, राज्य सरकार द्वारा अपील न्यायालय को तदर्थ आवेदन–पत्र दिये जाने पर, उस न्यायालय द्वारा तदनुसार परिष्कृत कर दिया जायेगा।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 9(2) द्वारा प्रतिस्थापित। (सदैव से प्रतिस्थापित समझा जायेगा)

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1970 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

***Explanation* —** For the purposes of this proviso any dispute respecting the regularity, validity or legality of a notice under Section 9 or Section 10 or of the proceedings before the prescribed authority shall not, by itself be deemed to be a dispute respecting the surplus character of land.]

Redetermination of surplus land in certain cases

[1][**13-A.** (1) The prescribed authority may, at any time, within a period of two years from the date of the notification under [2][sub-section (4) of section 14] rectify any mistake apparent on the face of the record :

Provided that no such rectification which has the effect of increasing the surplus land shall be made, unless the prescribed authority has given notice to the tenure-holder of its intention to do so and has given him a reasonable opportunity of being heard.

(2) The provisions of Sections 10, 11, 12, 12-A, 13, 14 [3][15 and 16] shall *mutatis mutandis* apply in relation to any proceeding under sub-section (1) and for purposes of application of Section 10, the notice under the proviso to sub-section (1), shall be deemed to be a notice under Section 9.]

Acquisition of surplus land

[4][**14.** (1) The Collector shall at any time after —

(a) in case, where the order passed under sub-section (1) of section 11 has become final, the date of its so becoming final ; or

(b) in case, where no appeal has been preferred under section 13, the date of expiry of the period of limitation provided therefor ; or

(c) in case, where an appeal has been preferred under section 13, the date of its decision ;

take possession of the surplus land determined under section 11, section 12 or section 13 and also of any ungathered crop or fruits of trees, not being crops or fruits to which sub-section (1) of section 15 applies, after evicting any person found in occupation of such land, crops or fruits and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a tenure-holder may, at any time, voluntarily deliver possession to the Collector over the whole or any part of the land held by him which has been or is likely to be declared surplus under or in accordance with the provisions of the Act.

(3) Where the Collector has taken possession of any surplus land or ungathered crops or fruits of trees under sub-section (1) or

1. *Inserted* by *sec.* 7 of U. P. Act no. 18 of 1973.
2. *Subs.* by sec. 3 of U. P. Act no. 56 of 1976.
3. *Subs.* by sec. 10 of U. P. Act no. 20 of 1976.
4. *Subs.* by *sec.* 4 of U. P. Act no. 56 of 1976.

स्पष्टीकरण—इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रयोजनार्थ धारा 9 या धारा 10 के अधीन किसी नोटिस की, या नियत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों की, नियमितता, विघ्यनुकूलता या वैधता के संबंध में कोई विवाद, स्वतः, भूमि का अतिरिक्त भूमि होने से संबंधित विवाद नही समझा जायेगा ।]

कतिपय मामलों में अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण

[1][**13–क**–(1) नियत प्राधिकारी, [2][धारा 14 की उपधारा (4)] के अधीन अधिसूचना के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, किसी समय, अभिलेख को देखने से ही प्रकट भूल की परिशुद्धि कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी परिशुद्धि जिससे अतिरिक्त भूमि में वृद्धि हो, तब तक न की जायगी जब तक कि नियत प्राधिकारी ने खातेदार को ऐसा करने के अपने अभिप्राय की नोटिस न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा 10, 11, 12, 12–क, 13, 14 [3][15 और 16] के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, और धारा 10 को लागू करने के प्रयोजनार्थ उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन नोटिस धारा 9 के अधीन नोटिस समझी जायगी ।]

अतिरिक्त भूमि का अर्जन

[4][**14**–(1) कलेक्टर ––

(क) उस दशा में जहाँ धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम हो गया हो, वहाँ उसके अन्तिम होने के दिनांक ; या

(ख) उस दशा में, जहाँ धारा 13 के अधीन कोई अपील न की गयी हो, वहां उसके लिये व्यवस्थित परिसीमाकाल की समाप्ति के दिनांक ; या

(ग) उस दशा में, जहां धारा 13 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गयी है, वहाँ उस पर निर्णय के दिनांक ;

के पश्चात् किसी समय धारा 11, धारा 12 या धारा 13 के अधीन अवधारित अतिरिक्त भूमि पर और किसी असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर भी, जो ऐसी फसल या फल न हो, जिस पर धारा 15 की उपधारा (1) लागू होती हो, किसी व्यक्ति को, जिसके अध्यासन में ऐसी भूमि, फसल या फल हो, बेदखल करने के पश्चात् कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या जिसके घोषित किये जाने की सम्भावना हो ।

(3) जहाँ कलेक्टर ने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि या असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर कब्जा ले लिया हो, वहां उपधारा (1) के

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

sub-section (2) such land, crops or fruits of trees shall, with effect from the date referred to in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, of sub-section (1), stand transferred to and vest in the State Government free from all encumbrances and all rights, title and interests of all persons in such land shall, with effect from such date, stand extinguished :

Provided that the encumbrances, if any, shall attach to the amount payable under section 17 in substitution for the surplus land.

(4) The prescribed authority shall, as soon as may be after the date mentioned in clause (a), clause (b) or clause (c), as the case may be, of sub-section (1), notify in the official *Gazette* every surplus land determined under this act, or under section 9 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1974 or under section 31 of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1976.][1]

Disposal of property left on surplus land

15. (1) Where possession of the surplus land is taken by the Collector under the provisions of [2][sub-section (1) of section 14] the Collector shall permit the person in possession —

(i) to tend, gather or remove any ungathered crop or fruits of trees on such land within such period as may be necessary ; and

(ii) to remove any other property belonging to such person and existing on such land within such period, not being less than twenty-one days from the date of the order, as the Collector may fix in this behalf.

[3][***Explanation***—For the purposes of this section, the expression 'ungathered crops or fruits of trees' means any crop or fruits which existed on [4][the date of taking possession of the surplus land] under sub-section (1) of section 14 and does not include any subsequent crop or fruits of trees.]

(2) On failure of the person concerned to gather or remove the crop or fruits of trees or any other property on the surplus land, within the period fixed therefor under sub-section (1), the Collector may remove or cause to be removed and sold by public auction any such crop or fruits of trees or property in such manner as may be prescribed.

(3) Where any crop, fruits or property is sold under sub-section (2), the sale proceeds thereof, shall, after deducting the expenses of the sale, be paid to the person in possession after laps of thirty days from the date of the sale :

Provided that where a claim to such sale proceeds is made by any other person before the Collector within thirty days of the date of

1. *Subs.* by sec. 4 of U. P. Act no. 56 of 1976
2. *Subs.* by sec. 5(a) of U. P. Act no. 56 of 1976.
3. *Ins.* by *sec.* 12 of U. P. Act no. 20 of 1976.
4. *Subs.* by *sec.* 5 (b) of U.P. Act no. 56 of 1976.

खण्ड (क), खण्ड (ख), अथवा, जैसी भी दशा हो, खण्ड (ग) में अभिदिष्ट दिनांक से ऐसी भूमि, फसल या वृक्षों के फल समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जायेंगे और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा ।

(4) नियत प्राधिकारी उपधारा (1) के, यथास्थिति, खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित दिनांक के पश्चात्, यथाशीघ्र, इस अधिनियम के अधीन, या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 31 के अधीन अवधारित सभी अतिरिक्त भूमि सरकारी गजट में अधिसूचित करेगा।][1]

अतिरिक्त भूमि पर छोड़ी गई सम्पत्ति का निस्तारण

15–(1) यदि [2][धारा 14 की उपधारा (1)] के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया जाय, तो कलेक्टर उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में भूमि हो, इस बात की अनुज्ञा देगा कि वह ;

(1) ऐसी अवधि के भीतर जो आवश्यक हो, उक्त भूमि पर विद्यमान असंगृहीत फसल या वृक्षों के फलों की देखभाल करे या उन्हें संगृहीत करे या हटाये ; तथा

(2) ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश के दिनांक से इक्कीस दिन से कम की न हो और जो कलेक्टर तदर्थ निश्चित करे, उक्त भूमि पर विद्यमान अपनी किसी अन्य सम्पत्ति को हटाये।

[3][**स्पष्टीकरण**–इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल का तात्पर्य किसी ऐसी फसल या फल से है जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन [4][अतिरिक्त भूमि का कब्जा लेने के दिनांक] को विद्यमान हो और इसमें कोई अनुवर्ती फसल या वृक्षों के फल सम्मिलित नहीं हैं।]

(2) यदि सम्बद्ध व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर अतिरिक्त भूमि पर विद्यमान फसल या वृक्षों के फलों या किसी अन्य सम्पत्ति की संगृहीत न करे या न हटाये तो कलेक्टर किसी ऐसी फसल या वृक्षों के फलों अथवा सम्पत्ति को ऐसी रीति से, जो नियत की जाय, हटा सकता है या हटवा सकता है और सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है ।

(3) जब किसी फसल, फलों या सम्पत्ति का उपधारा (2) के अधीन विक्रय किया जाय तो उसके विक्रय से होने वाली आय का भुगतान, विक्रय का व्यय काटने के पश्चात् विक्रय के दिनांक से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात्, उस व्यक्ति को किया जायगा, जिसके कब्जे में वह (फसल, फल या सम्पत्ति) थी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि विक्रय के दिनांक से तीस दिन के भीतर ऐसी विक्रय से होने वाली आय का दावा कलेक्टर के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाय, तो

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 5 (क) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 5 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित।

the sale, the Collector shall decide such claim and, if necessary, make an apportionment and order payment accordingly. Where on the material before him the Collector is unable to decide such claims or make an order of apportionment, he shall direct the parties concerned to get the matter in dispute decided by a court of competent jurisdiction. The balance of the sale proceeds shall thereupon be paid or apportioned, as the case may be, according to the decision of that court.

[1][Damages for use and occupation of surplus land]

[1][16. Where any tenure-holder holds any land on or after the commencement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, in excess of the ceiling area applicable to him, he shall be liable to pay to the State Government for the period commencing from the first day of July, 1973, until the date on which the Collector takes possession of such surplus land under [2][x x x x] section 14, or the date on which the tenure-holder voluntarily delivers possession to the Collector under the [3][said section] whichever is earlier, such compensation for use and occupation as may be prescribed.]

CHAPTER III

Determination and payment of [4][amount]

Manner of calculation of [4][amount]

17. (1) Subject to the provisions of the sub-section (2), every tenure-holder, whose surplus land has vested in the State under the provisions of this Act, shall be entitled to receive and be paid [5][amount] as laid down in the Schedule and as determined in the manner provided hereinafter.

[6][(2) The sub-tenant or asami of the tenure-holder, not being an asami mentioned in section 11 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall be entitled to receive and be paid a portion out of the amount payable to the tenure-holder. The proportion of amount payable to the sub-tenant or the asami shall be the aggregate of the land revenue for the unexpired period of his subordinate interest computed at hereditary rates, so however, that the sub-tenant or the asami shall not in any case, be entitled to more than one-fourth of the amount payable to the tenure-holder. The amount shall be apportioned between the tenure-holder and the sub-tenant or the asami by the Prescribed Authority.]

(3) Nothing in this Act shall prevent any person, not being a person referred to in sub-sections (1) and (2), having any right, title or interest in the surplus land, or any person having any claim to

---

1. *Ins.* by *sec.* 13 of U. P. Act no. 20 of 1976.
2. *Del.* By *sec.* 6 of U.P. Act no. 56 of 1976.
3. *Subs.* by *sec.* 6 of U.P. Act no. 56 of 1976.
4. *Subs.* by *sec.* 14(a) of U.P. Act no. 20 of 1976.
5. *Subs.* by *sec.* 14 (b) of U.P. Act no. 20 of 1976.
6. *Subs.* by sec. 14 (c) of U.P. Act no. 20 of 1976.

कलेक्टर उस दावे का निर्णय करेगा और यदि आवश्यक हो तो उसका विभाजन करेगा और तदनुसार भुगतान का आदेश देगा । यदि प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, कलेक्टर ऐसे दावे का निर्णय करने में अथवा विभाजन करने का आदेश देने में असमर्थ हो तो वह सम्बद्ध पक्षों को यह निदेश देगा कि वे विवाद ग्रस्त मामले का निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा करवा लें । तत्पश्चात् विक्रय से होने वाली आय के अवशेष का भुगतान या विभाजन, जैसी भी दशा हो, उस न्यायालय के निर्णयानुसार किया जायगा ।

[1][अतिरिक्त भूमि के उपयोग तथा अध्यासन के लिये क्षति–पूर्ति]

[1][**16–** यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक पर या उसके पश्चात् किसी खातेदार के पास उस पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो वह खातेदार जुलाई, 1973 के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली अवधि से धारा 14 [2][x x x x] के अधीन कलेक्टर द्वारा उक्त अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिये जाने के दिनांक तक, या उस दिनांक तक जब खातेदार [3][उक्त उपधारा] के अधीन कलेक्टर को स्वेच्छा से कब्जा दे, जो भी पहले हो, उसके उपयोग और अध्यासन के लिये राज्य सरकार को उस प्रतिकर को देनदार होगा, जो नियत किया जाय ।]

अध्याय–3

निर्धारण एवं [4][राशि] का भुगतान

[4] [राशि] की गणना की रीति

17–(1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक खातेदार जिसकी अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य में निहित हो गयी है, अनुसूची में निर्धारित तथा आगे व्यवस्थित रीति से अवधारित [5][राशि] पाने का हकदार होगा और उसे वह प्रतिकर दिया जायगा ।

[6][(2) खातेदार का शिकमी काश्तकार या असामी, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार को देयराशि में से एक भाग पाने का हकदार होगा और उसे वह दिया जायगा । शिकमी काश्तकार या असामी को देय राशि का भाग उसके अधीनवर्ती स्वत्व की अव्यतीत अवधि के लिये मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी किसी भी दशा में, खातेदार को देय राशि के एक चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा। वह राशि खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच नियत प्राधिकारी द्वारा विभाजित की जायगी।]

(3) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उपधारा (1) तथा (2) में उल्लिखित व्यक्ति न हो, और जिसका अतिरिक्त भूमि में कोई अधिकार, आगम या स्वत्व हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका उस व्यक्ति के लिए [7][राशि] का दावा हो जो इस

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 6 द्वारा निकाला गया।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14(ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14(ग) द्वारा प्रतिस्थापित । (हमेशा से प्रतिस्थापित समझा जायेगा)।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14 (घ) द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][amount] against the person entitled thereto under the provisions of this Act, from claiming any right, title or interest in such [1][amount] in any court of competent jurisdiction.

Payment of [3][amount] to *waqfs*, trusts, etc.

[2]**[17-A.** Notwithstanding in Section 17, the following provisions shall apply in respect of [3][amount] payable to those public religious or charitable *waqfs*, trust, endowments or institutions, a part of the income from which is utilized for religious or charitable purposes and for other purposes ;

(i) the surplus land held by such *waqf*, trust, endowment or institution shall be deemed to be divided into two parts in the same proportions in which its income is utilized respectively for religious or charitable purposes and for other purposes ;

(ii) so far that part of the surplus land, the income from which is utilized for religious or charitable purposes is concerned, an annuity equivalent to the annual average of the actual net profits during the five years preceding July 1, 1972, to be determined in the prescribed manner shall be payable in lieu of the [3][amount] referred to in Section 17, and the provisions of Sections 18, 19, 20, 21, 22 and 23, shall *mutatis mutandis* apply in relation to the said annuity as they apply to the [3][amount] referred to in Section 17 ;

(iii) in respect of the remaining surplus land, [4][the amount shall be payable in accordance with section 17].

***Explanation*—**If any *waqf*, trust, endowment or institution claims that the provisions of this section apply to it, the burden of proving the same shall lie on it.]

[6]**[Refund of amount in certain cases]**

[5]**[17-B.—** (1) Where as a result of any order passed on appeal under this Act or of any other order of any court or tribunal the possession of any land transferred to or vested in the State Government under [7][****] of Section 14 is required to be restored to any tenure-holder or his successor-in-interest or any other person, whether before or after the enforcement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972, the Compensation Officer shall order the tenure-holder to refund the whole or, as the case may be [8][the proportionate part of the amount] paid to him.

---

1. *Subs.* by sec. 14(d) of U. P. Act no. 20 of 1976.
2. *Inserted* by sec. 10 of U. P. Act no. 18 of 1973.
3. *Subs.* by *sec.* 15(a) of U. P. Act no. 20 of 1976.
4. *Subs.* by *sec.* 15(b) of U. P. Act no. 20 of 1976.
5. *Inserted* by *sec.* 10 of U. P. Act no. 18 of 1973.
6. *Subs.* by *sec.* 16(a) marginal heading of U.P. Act no. 20 of 1976.
7. *Omit.* by sec. 7 of U. P. Act no. 56 of 1976.
8. *Subs.* by sec. 16(b) of U. P. Act no. 20 of 1976.

अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उसका हकदार हो, सक्षम न्यायालय में, उस [1][राशि] में किसी अधिकार, आगम या स्वत्व का दावा करने से न रोकेगी।

वक्फ, न्यास, इत्यादि की [2][राशि] का भुगतान

[3]**[17–क**–धारा 17 में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे सार्वजनिक, धार्मिक अथवा पूर्त वक्फ, न्यास विन्यास या संस्था को जिसकी आय का आंशिक उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, [3][राशि] के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था होगी, अर्थात् : ––

(1) ऐसे वक्फ, न्यास, विन्यास अथवा संस्था द्वारा धृत अतिरिक्त भूमि को उस अनुपात में दो भागों में विभाजित समझा जायगा जिस अनुपात में उसकी आय का अंश धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो अथवा अन्यथा ;

(2) जहां तक उक्त अतिरिक्त भूमि के उस भाग का सम्बन्ध है जिसकी आय का उपयोग धार्मिक अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो, धारा 17 में अभिदिष्ट [3][राशि] के स्थान पर, नियत रीति से अवधारित की जाने वाली ऐसी वार्षिक धनराशि दी जायगी जो 1 जुलाई, 1972 के पूर्ववर्ती 5 वर्षों के वास्तविक शुद्ध लाभ के वार्षिक औसत के बराबर होगी, और धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 के उपबन्ध आवश्यक संशोधनों के साथ उक्त वार्षिक धनराशि के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे धारा 17 में अभिदिष्ट [3][राशि] के लिये लागू होते ;

(3) शेष अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में [4][राशि] धारा 17 के अनुसार दी जायगी] ।

स्पष्टीकरण –– यदि कोई वक्फ, न्यास, विन्यास, या संस्था यह दावा करे कि इस धारा के उपबन्ध उस पर लागू है तो उसे साबित करने का भार उसी पर होगा ।]

[6]**[कतिपय मामलों में राशि का लौटाया जाना]**

[5]**[17–ख**–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपील पर दिये गये किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी अन्य आदेश के परिणाम स्वरूप धारा 14 [7][* * * *] के अधीन राज्य सरकार को अंतरित या उसमें निहित किसी भूमि का कब्जा किसी खातेदार को या उसके हित–उत्तराधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत्त होने के पूर्व या पश्चात् लौटाना अपेक्षित हो, तो प्रतिकर अधिकारी यह आदेश देगा कि वह [8][उसको दी गयी सम्पूर्ण राशि या, जैसी भी दशा हो, उसका आनुपातिक भाग] वापस कर दें ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 14(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 15–क द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 15–ख द्वारा बढ़ाया गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 16(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 7 द्वारा निकाला गया।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 16–ख द्वारा प्रतिस्थापित ।

(2) Any such amount remaining unpaid shall be recoverable by the State Government as an arrear of land revenue.]

Compensation Officer

18. All proceedings relating to assessment and payment of [1][amount payable under section 17] shall be held before the Compensation Officer appointed by the State Government in this behalf.

Preliminary publication of the Draft Compensation assessment Roll

19. (1) The Compensation Officer shall, in respect of every person entitled to [2][the amount payable under section 17] cause to be prepared a draft compensation assessment roll in such from and in such manner as may be prescribed.

(2) The draft compensation assessment roll prepared under sub-section (1), together with a notice calling upon every person referred to in that sub-section, to show cause within twenty-one days from the date of service thereof, why the draft compensation assessment roll be not taken as final, shall be served on very such person in such manner as may be prescribed.

Cases where no objections are filed

20. (1) Where no objection is filed under Section 19, as to the correctness of the draft compensation assessment roll, the Compensation Officer shall declare it as the Compensation Assessment Roll.

(2) The Compensation Officer shall, on application made within thirty days from the date of the order under sub-section (1) by the person aggrieved by such order passed in his absence and on sufficient cause being shown for his absence set aside the order and allow such person to show cause why the draft compensation assessment roll be not taken as final.

(3) An appeal shall lie from an order passed under sub-section (2), within thirty days of the date of that order, to the [3][Commissioner] in whose jurisdiction the land or any part thereof is situate.

Disposal of objections

21. (1) the Compensation Officer shall hear any person showing cause under sub-section (2) of Section 19 or in pursuance of any order under sub-section (2) or sub-section (3) of Section 20, and after affording an opportunity to such person for the production of evidence, give his decision in writing with reasons therefor. The Compensation Officer shall prepare and declare the compensation assessment roll in accordance with such decisions.

(2) An appeal shall lie from an order passed under sub-section (1), within thirty days of the date of that order, to the [3][Commissioner] in whose jurisdiction the land or any part thereof is situate.

---

1. *Subs.* by sec. 17 of U. P. Act no. 20 of 1976.
2. *Subs.* by sec. 18 of U. P. Act no. 20 of 1976.
3. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act no. 3 of 1986.

(2) ऐसी कोई धनराशि जो अदत्त रह जाय, राज्य सरकार द्वारा भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।]

18–[1][धारा 17 के अधीन देय राशि] के निर्धारण तथा भुगतान से सम्बद्ध समस्त कार्यवाहियां राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त प्रतिकर अधिकारी के समक्ष होंगी । प्रतिकर अधिकारी

19– (1) प्रतिकर अधिकारी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में जो [2][धारा 17 के अधीन देय राशि] का हकदार हो, प्रस्तावित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से तैयार करायेगा, जो नियत की जाय। प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण–तालिका का प्रारम्भिक प्रकाशन

(2) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गयी प्रस्तावित प्रतिकर निर्धारण–तालिका, एक ऐसे नोटिस के साथ, जिसमें उक्त उपधारा में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जायगी कि वह उस (नोटिस) के तामील किये जाने के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर कारण प्रकट करे कि प्रस्तावित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका को क्यों न अंतिम मान लिया जाय, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर ऐसी रीति से तामील की जायगी जो नियत की जाय ।

20–(1) यदि धारा 19 के अधीन प्रस्तावित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका की शुद्धता पर कोई आपत्ति प्रस्तुत न की गयी हो, तो प्रतिकर अधिकारी उसे प्रतिकर–निर्धारण–तालिका घोषित करेगा । मामले जिनमें कोई आपत्तियां प्रस्तुत न की गयी हों

(2) प्रतिकर अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अपनी अनुपस्थिति में दिये गये आदेश से क्षुब्ध हो, प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर और उक्त अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण प्रकट किये जाने पर, उस आदेश को रद्द कर देगा और उक्त व्यक्ति को कारण प्रकट करने की अनुमति देगा कि प्रस्तावित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका को क्यों न अंतिम मान लिया जाय ।

(3) उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उस [3][आयुक्त] को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

21–(1) प्रतिकर अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जो धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 20 की उपधारा (2) अथवा (3) के अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में कारण प्रकट करे, सुनेगा तथा उक्त व्यक्ति को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात् कारणों को अभिलिखित करते हुए अपना निर्णय देगा । प्रतिकर अधिकारी उक्त निर्णयानुसार प्रतिकर–निर्धारण–तालिका तैयार करेगा और उसे घोषित करेगा । आपत्तियों का निस्तारण

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये आदेश के विरूद्ध अपील, उक्त आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर, उस [3][आयुक्त] को की जा सकेगी जिसके अधिक्षेत्र में वह भूमि या उसका कोई भाग स्थित हो ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 17 द्वारा प्रतिस्थापित । (सदैव से रखे समझे जायेंगे)।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 18 द्वारा प्रतिस्थापित । (सदैव से रखे समझे जायेंगे)।

3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) The [1][Commissioner] shall hear and decide the appeal as expeditiously as possible and, where necessary, the compensation assessment roll shall be amended in accordance with such decision.

(4) Subject to the correction of any clerical or arithmetical mistake by the Compensation officer or the [1][Commissioner] the compensation assessment roll, declared under Section 20, or declared or modified under this section, shall be final and conclusive and be not questioned in any Court of law.

[2][Manner of payment of amount]

[2]**[22.** (1) The amount entered in the assessment roll shall be deemed to have become due on the date on which possession of the land is taken under section 14, and where possession of different lands of the person entitled to the amount is taken on different dates, on the last of such dates.

(2) There shall be paid by the State Government on the amount entered in the assessment roll, interest at the rate of 31 per cent per annum from the date it becomes due under sub-section (1) to the date of its final determination under section 20 or section 21, as the case may be.

(3) Subject to the provisions of section 23, the amount with interest referred to in sub-section (2) shall be paid —

(i) if it does not exceed rupees one thousand, in cash in one lump sum ;

(ii) in any other case, in five annual installments of which the first installment shall be of rupees one thousand, and the remainder shall be payable in four years in annual equal installment :

Provided that the State Government may, in its discretion, make full payment of the amount outstanding at any time :

Provided also that in case of the four annual installments referred to in clause (ii), further interest on the amount outstanding shall be paid at the rate of 31 per cent per annum from the date of final determination of the amount under section 20 or section 21, as the case may be, till the date when each such installment falls due.

(4) The payment of the said amount in accordance with the provisions of this Act shall be full discharge of all liability of the State Government in respect of the surplus land, but shall not prejudice the right of any other persons against the person to whom such payment is so made in respect of the said amount.]

[3][Amount] to be placed at the disposal of the Court or authority

23.— Where before any Court or authority any suit or proceeding is pending which directly or indirectly affects or is likely to

---

1. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act no. 3 of 1986.
2. *Subs.* by sec. 2 of U. P. Act no. 5 of 1979.
3. *Subs.* by sec. 20(a) of U. P. Act no. 20 of 1976. (heading substituted).

(3) [1][आयुक्त] यथासम्भव शीघ्र अपील को सुनेगा और उस पर निर्णय देगा तथा, जहां आवश्यक हो, प्रतिकर–निर्धारण–तालिका उस निर्णय के अनुसार संशोधित की जायगी।

(4) प्रतिकर अधिकारी अथवा [1][आयुक्त] द्वारा किये जाने वाले किसी लिपिक या गणित सम्बन्धी भूल सुधार के अधीन रहते हुये, धारा 20 के अधीन घोषित अथवा इस धारा के अधीन घोषित या संशोधित प्रतिकर–निर्धारण–तालिका, अन्तिम तथा निश्चायक होगी और किसी विधि–न्यायालय में उस पर आपत्ति नही की जायगी ।

[2][राशि के भुगतान की रीति]

[2]**[22**–(1) निर्धारण तालिका में दर्ज राशि उस दिनांक को, जब धारा 14 के अधीन भूमि का कब्जा लिया जाय, और जहां राशि पाने के हकदार व्यक्ति को विभिन्न भूमि पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर लिया जाय, वहां ऐसे दिनांकों में से अंतिम दिनांक को, देय हुई समझी जायगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा निर्धारण तालिका में दर्ज राशि पर, उपधारा (1) के अधीन उसके देय होने के दिनांक से, यथास्थिति, धारा 20 या धारा 21 के अधीन उसके अंतिम अवधारण के दिनांक तक साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जायगा ।

(3) धारा 23 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज सहित राशि का भुगतान निम्नलिखित प्रकार से किया जायगा ––

(एक) यदि वह एक हजार रूपये से अधिक न हो तो नकदी में एकमुश्त ;

(दो) किसी अन्य स्थिति में, पाँच वार्षिक किस्तों में जिनमें से पहली किस्त एक हजार रूपये की होगी और शेष, चार वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में देय होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, स्वविवेकानुसार, बकाया राशि का भुगतान किसी समय कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि खण्ड (दो) में निर्दिष्ट चार वार्षिक किस्तों की स्थिति में, बकाया राशि पर यथास्थिति, धारा 20 या धारा 21 के अधीन राशि का अंतिम अवधारण किये जाने के दिनांक से उस दिनांक तक, जब प्रत्येक ऐसी किस्त देय हो, साढ़े तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज दिया जायगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त करेगा, किन्तु उस व्यक्ति के प्रति जिसे उक्त राशि के संबंध में इस प्रकार भुगतान किया जाय, किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।]

[3][राशि] का न्यायालय या प्राधिकारी के अधिकार में रक्खा जाना

23–यदि किसी न्यायालय या प्राधिकारी के सामने कोई ऐसा वाद या कार्यवाही विचाराधीन हो जिसका किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन देय संपूर्ण [4][राशि] या उसका कोई भाग पाने के अधिकार पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता हो, या पड़ने की संभावना हो तो वह न्यायालय या प्राधिकारी [4][राशि] अधिकारी से अपेक्षा कर सकता है

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1979 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 20(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 20 ख द्वारा प्रतिस्थापित।

affect the right of any person to the whole or part of the [1] [amount] payable under this Act, the Court or authority may require the Compensation Officer to place at its disposal the amount so payable or to dispose it of in accordance with its orders. The Compensation Officer shall comply with any such order of the Court or authority.

CHAPTER IV

Disposal and Settlement of Surplus Land

24. [2][* * * *]

Use of surplus land for other public purposes

25. The State Government may, instead of settling any surplus land in accordance with the provisions of this Act, use or permit the use either temporarily or permanently of the whole or any portion of such land for any purpose for which such land could have been acquired under the Land Acquisition Act, 1894.

Settlement or letting out of surplus land by Collector

26. (1) All settlement of surplus land vested in the State shall be made on behalf of the State Government by the Collector in accordance with the provisions of [3][Section 26-A and] 27.

(2) [4][* * * *]

Settlement of land let out for interim period before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1969

[5]**[26-A. —** The surplus land let out to any person for an interim period under sub-section (2) of Section 26, as it stood immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1969, shall at the end of such period, be resumed by the Collector, and, thereafter, settled in accordance with the provisions of Section 27 :

Provided that where such person is a person who would if the surplus land so let out where excluded from consideration and if he were a resident of the circle would have fallen under any of the clauses (b) to (h) of sub-section (1) of Section 198 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, then so much of such land, as together with the area, if any, otherwise held by him aggregate to not more than 1.26 hectares (3.125 acres), shall at the desire of that person, either before or at the end of such period, be settled by the Collector with that very person.]

Settlement of surplus land

27. (1) The State Government shall settle out of the surplus land in a village in which no land is available for community purposes or in which the land as available is less than 15 acres with the [6][Gaon Sabha] of that village so, however, that the total land in the village available for community purposes after such settlement does not exceed 15 acres. The land so settled with the [6][Gaon Sabha] shall be used for planting trees, growing fodder or for such other community purposes, as may be prescribed.

1. *Sub.* by sec. 20(b) of U. P. Act 20 of 1976.
2. *Omitted* by sec. 11 of U. P. Act No. 18 of 1973 ;
3. *Inserted* by sec. 28 (i) of U. P. Act No. 4 of 1969.
4. *Omitted* by sec. 28 (ii) of U. P. Act No. 4 of 1969 ;
5. *Substituted* by sec. 9 of U. P. Act 35 of 1970.
6. *Substituted* for "Gaon Samaj" by *sec.* 12 (i) of U. P. Act 18 of 1973.

कि वह इस प्रकार देय धनराशि को उसके अधिकार में रख दे या उसका निस्तारण उसके आदेश के अनुसार करे । [1][राशि] अधिकारी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के ऐसे किसी भी आदेश का पालन करेगा ।

अध्याय–4

अतिरिक्त भूमि का निस्तारण और बन्दोबस्त

24– [2][* * * *]

25–राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त करने के बजाय, ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का, किसी ऐसे प्रयोजन के लिये अस्थायी या स्थायी रूप से उपयोग कर सकती है या उपयोग करने की अनुमति दे सकती है, जिसके लिये ऐसी भूमि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 के अधीन अर्जित की जा सकती थी ।

अतिरिक्त भूमि का अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग ऐक्ट संख्या 1, 1894

26–(1) राज्य में निहित अतिरिक्त भूमि का समस्त बन्दोबस्त राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर द्वारा [3][धारा 26–क और 27] के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

(2) [4][* * * *]

कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या उसका पट्टे पर दिया जाना

[5]**[26–क**–किसी व्यक्ति को धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि–विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के ठीक पूर्व थी, अन्तरिम अवधि के लिये पट्टे पर दी गयी अतिरिक्त भूमि ऐसी अवधि के अन्त में, कलेक्टर द्वारा वापस ले ली जायेगी, और तत्पश्चात् उसका बन्दोबस्त धारा 27 के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा :

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1969 के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तरिम अवधि के लिये पट्टे पर दी गई भूमि का बन्दोबस्त

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जो, इस प्रकार पट्टे पर उठायी गयी अतिरिक्त भूमि की गणना न की जाती और यदि वह मण्डल का निवासी होता तो 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 की उपधारा (1) के खंड (ख) से (ज) तक में से किसी खंड के अन्तर्गत आता, तो उस भूमि मे से उतनी भूमि का बन्दोबस्त जो उसके द्वारा अन्य प्रकारेण धृत भूमि के क्षेत्रफल को, यदि कोई हो, जोड़ कर 1.26 हेक्टेयर (3.125 एकड़) से अधिक न होती हो,उस व्यक्ति की इच्छा पर, उक्त अवधि के अन्त में अथवा उससे पूर्व कलेक्टर द्वारा उसी व्यक्ति के साथ किया जायगा ।]

27– (1) राज्य सरकार ऐसे गांव में, जिसमें सामुदायिक प्रयोजनों के लिये कोई भूमि उपलब्ध न हो या जिसमें ऐसी उपलब्ध भूमि 15 एकड़ से कम हो, अतिरिक्त भूमि का उस गांव के [6][गांव सभा] के साथ इस प्रकार बन्दोबस्त करेगी कि ऐसे बन्दोबस्त के बाद गांव में सामुदायिक प्रयोजनों के लिए कुल उपलब्ध भूमि 15 एकड़ से अधिक न हो, इस प्रकार [6][गांव सभा] के साथ बन्दोबस्त की गयी भूमि का उपयोग पेड़ लगाने, चारा उत्पन्न करने या ऐसे अन्य सामुदायिक प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो नियत किये जाये ।

अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 20(ख) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 11 द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 28 (1) द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 28 (2) द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 29 द्वारा बढ़ाया गया तथा उ0प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1970 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12 (i) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(2) The State Government may either settle any surplus land in accordance with sub-section (1) or sub-section (3) or use or use or per not its use in accordance with section 25 or manage ro otherwise deal with it in such manner as it thinks fit.]

[2][(3) Any remaining surplus land shall be settled by the any Collector in accordance with the order of preference, and subject to the limits, specified respectively in [3][sub-section (1) and (3)] of Section 198 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.] [4][* * *]

[5][(4) The Commissioner may of his own motion and shall, on the application of any aggrieved person inquire into such settlement and if he is satisfied that the settlement is irregular, he may after notice to the person in whose favour such settlement is made to show cause, —

(i) cancel the settlement and the lease, if any, and thereupon, notwithstanding anything contained in any other law or in any instrument, the rights, title and interest of the person in whose favour such settlement was made or lease executed or any person claiming through him in such land shall cease, and such land shall revert to the State Government ; and

(ii) direct that every person holding or retaining possession thereof may be evicted, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(5) Every order passed by the Commissioner under sub-section (4), shall be final.

(6) The Commissioner acting of his own motion under sub-section (4) may issue notice, and an application under that sub-section may be made, —

[6][(a) in the case of any settlement made or lease granted before November 10, 1980, before the expiry of a period of [7][seven years] from the said date, and ;

[6](b) in the case of any settlement made or lease granted on or after the said date, before the expiry of a period of [8][five years from the date of such settlement or lease or up to November 10, 1987, whichever be later]

[9][(6-A) Where any surplus land has been settled by the Collector under sub-section (3), and any person other than the person in whose favour such settlement was made is in occupation of such land in contravention of the provisions of this Act, the Collector may, of

---

1. *Subs.* by *sec.* 12 (ii) of U.P. Act No. 18 of 1973.
2. *Subs.* by *sec.* 10 of U.P. Act No. 35, 1970.
3. *Subs.* by *sec.* 21 of U. P. Act No. 20 of 1976.
4. The words "except that the qualification of residence in the circle, specified therein, shall not be applicable, Omitted by *sec.* 12 (3) of U. P. Act 18 of 1973.".
5. *Ins.* by *sec.* 12(4) of U.P. Act No. 18 of 1973.
6. *Subs.* by sec. 22 of U. P. Act 20 of 1982.
7. *Subs.* by sec. 20 (i) of U. P. Act 24 of 1986.
8. *Subs.* by sec. 20 (ii) of U. P. Act 24 of 1986.
9. *Inserted* by sec. 22(ii) U. P. Act No. 20 of 1982.

[1][(2) राज्य सरकार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या तो उपधारा (1) या उपधारा (3) के अनुसार कर सकती है या धारा 25 के अनुसार उसका प्रयोग कर सकती है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है या उसका प्रबन्ध कर सकती है अथवा उसके सम्बन्ध में ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझें, अन्यथा कार्यवाही कर सकती है ।]

[2][(3) किसी शेष अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त कलेक्टर द्वारा ऐसे तारतम्य के अनुसार और ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुए किया जायगा जो 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी–विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 की क्रमश [3][उपधारा (1) तथा (3)] में निर्दिष्ट है, [4][*****]]

[5][(4) आयुक्त ऐसे बन्दोबस्त की स्वतः जांच कर सकता है तथा किसी क्षुब्ध व्यक्ति के प्रार्थना–पत्र पर जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि बन्दोबस्त अनियमित है, तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त हुआ है, हेतुक दर्शित करने की नोटिस देने के पश्चात् ––

(1) बन्दोबस्त और पट्टा, यदि कोई हो, को निरस्त कर सकता है, और तत्पश्चात्, किसी विधि या उपकरण में किसी बात के होते हुये भी उस व्यक्ति का, जिसके पक्ष में बन्दोबस्त किया गया हो या पट्टा निष्पादित किया गया हो अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का ऐसी भूमि में, अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायगा तथा ऐसी भूमि राज्य सरकार को लौट जायगी, और

(2) निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि धारण करने या रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाय, और उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जो आवश्यक हो ।

(5) उपधारा (4) के अधीन पारित आयुक्त का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा ।

(6) निम्नलिखित अवधि के भीतर, उपधारा (4) के अधीन स्वतः कार्यवाही करते हुये आयुक्त नोटिस जारी कर सकता है और उक्त उपधारा के अधीन कोई प्रार्थना–पत्र दिया जा सकता है ––

[6][(क) 10 नवम्बर, 1980 के पूर्व किये गये किसी बंदोबस्त या दिये गये किसी पट्टे की स्थिति में, उक्त दिनांक से [7][सात वर्ष] की अवधि समाप्त के पूर्व ; और

(ख) उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् किये गये किसी बन्दोबस्त या दिये गये किसी पट्टे की स्थिति में, [8][ऐसे बन्दोबस्त या पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व या 10 नवम्बर, 1987 तक, जो भी पश्चात्वर्ती हो;]

[9][(6–क) जहाँ किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त उपधारा (3) के अधीन कलेक्टर द्वारा किया गया हो, और जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया हो उससे भिन्न किसी व्यक्ति का ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के उपबन्धो के उल्लंघन में अध्यासन हो, वहाँ कलक्टर उस व्यक्ति के जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था, आवेदन पर

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1970 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 21 (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12(3) द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12(4) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
7. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1986 की धारा 20(i) द्वारा प्रतिस्थापित ।
8. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1986 की धारा 20(ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
9. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 22(दो) द्वारा बढ़ाया गया ।

his own motion and shall on the application of the person in whose favour such settlement was made, put him in possession of such land and may for that purpose use or cause to be used such force as he considers necessary.

(6-B) Where any person, after being evicted under this section, re-occupies the land or any part thereof without lawful authority, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years but which shall not be less than three months and also with fine which may extend to three thousand rupees :

Provided that the court convicting the accused may while passing the sentence direct that the whole or such portion of the fine that may be recovered as the court considers proper, be paid to the person in whose favour such settlement was made as damages for use and occupation.

(6-C) Where in any proceeding under sub-section (6-B), the court, at any stage after cognizance of the case has been taken is satisfied by affidavit or otherwise —

(a) that the accused is in occupation of the land to which such proceeding relates, in contravention of the provisions of the Act ; and

(b) that the person in whose favour such settlement was made is entitled to the possession of such land ;

the court may summarily evict the accused from such land pending the final determination of the case, and may put the person in whose favour such settlement was made in possession of such land.

(6-D) Where in any such proceeding, the accused is convicted the interim order passed under sub-section (6-C) shall be confirmed by the court.

(6-E) Where in any such proceeding, the accused is acquitted or discharged and the court is satisfied that the person so acquitted or discharged is entitled to be put back in possession over such land. the court shall, on the application of such person, direct that delivery of possession be made to him.

(6-F) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, every offence punishable under sub-section (6-B) shall be cognizable and non-bailable and may be tried summarily.

(6-G) For the purpose of speedy trial of offences under this section, the Stat Government may, in consultation with the High Court, by notification, constitute, special courts consisting of an officer not below the rank of Sub-Divisional Magistrate, which shall, subject to the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973, exercise in relation to such offences the powers of a Judicial Magistrate of the first class.][1]

---

1. *Ins.* by *sec.* 22 (ii) of U.P. Act No. 20, 1982.

उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिलायेगा और स्वप्रेरणा से भी ऐसा कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे ।

(6–ख) जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात् विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, किन्तु जो तीन मास से कम नही होगी और जुर्माने से भी जो तीन हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अभियुक्त को सिद्धदोष करने वाला न्यायालय दण्ड निर्धारण आदेश में यह निदेश दे सकता है कि जो जुर्माना वसूल हो उसका कुल या कोई भाग जिसे न्यायालय उचित समझें, उपयोग और अध्यासन की क्षतिपूर्ति के रूप में उस व्यक्ति को दिया जाय जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ।

(6–ग) जहाँ उपधारा (6–ख) के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय का मामले का संज्ञान करने के पश्चात् किसी प्रक्रम पर, शपथ–पत्र से या अन्य प्रकार से यह समाधान हो जाय कि ––

(क) अभियुक्त का अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके उस भूमि पर अध्यासन है कि जिसके संबंध में ऐसी कार्यवाही है ; और

(ख) वह व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कब्जा पाने का हकदार है ।

वहाँ न्यायालय मामले का अन्तिम अवधारण विचाराधीन रहते हुए अभियुक्त को ऐसी भूमि से सरसरी तौर पर बेदखल कर सकता है, और उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में ऐसा बन्दोबस्त किया गया था ऐसी भूमि पर कब्जा दिला सकता है ।

(6–घ) जहाँ किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाय, वह उपधारा (6–ग) के अधीन पारित अन्तरिम आदेश न्यायालय द्वारा पुष्ट किया जायगा ।

(6–ङ) जहाँ किसी ऐसी कार्यवाही में अभियुक्त दोषमुक्त या उन्मुक्त कर दिया जाय और न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि इस प्रकार दोषमुक्त या उन्मुक्त व्यक्ति ऐसी भूमि पर पुनः कब्जा पाने का हकदार है, वहाँ न्यायालय ऐसे व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर निदेश देगा कि उस व्यक्ति को कब्जा दिया जाय ।

(6–च) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (6–ख) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा अजमानती होगा और उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है ।

(6–छ) इस धारा के अधीन अपराध के शीघ्र विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जिसमें उप खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी के अनिम्न अधिकारी होगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग ऐसे अपराधों के बारे में करेगा ।][1]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1982 की धारा 22 (दो) द्वारा बढ़ाया गया।

[1][(7) The State Government may, [2][by a general or special order to be published in the manner prescribed] declare that as from a date to be specified in this behalf, all surplus land situate in a circle which could not be settled under the provisions of this Act, shall vest the Gaon Sabha concerned, and the provisions of Section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, shall *mutatis mutandis* apply in relation to such vesting.]

Terms and conditions of settlement

28. (1) All settlement of land under [3][Section 26-A or] Section 27 shall be made in the manner and subject to such terms and conditions as may be prescribed.

(2) [4][* * * *]

(3) Notwithstanding the provisions of any law for the time being in force, no person with whom any land has been settled under [5][Section 26-A or] Section 27 or to whom land has been let out under sub-section (2) of Section 26 [5][as it stood immediately before the Commencement of the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1969] shall acquire any right in such land in derogation of the terms and conditions under which the land has been settled or let out.

Subsequent declaration of further land as surplus land

[6]**[29.** Where after the date of enforcement of the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings (Amendment) Act, 1972,—

(a) any land has come to be held by a tenure-holder under a decree or order of any court, or as a result of succession or transfer, or by prescription in consequence of adverse possession, and such land together with the land already held by him exceeds the ceiling area applicable to him ; or

(b) any unirrigated land becomes irrigated land as a result of irrigation from a State irrigation work or any grove-land loses its

---

1. *Inserted* by *sec.* 12 of U. P. Act No. 18 of 1973.

2. *Subs.* by sec. 21 (iii) of U. P. Act 20 of 1976.

3. *Inserted* by U. P. *sec.* 33 (i) of U.P. Act No. 4 of 1969.

4. *Omitted* by *sec.* 13 of U.P. Act No. 18 of 1973. ;

5. *Inserted* by *sec.* 31 (ii) of U. P. Act No. 4 of 1969.

6. *Substituted* for the following by *sec.* 14 of U. P. Act No. 18 of 1973 ;

"29. Future acquisitions :— Where, after the imposition of ceiling under this Act —

(a) any land has come in possession of tenure-holder under a decree or order of any court, or as a result of succession or transfer, other than gift or sale, and such land together with the land already held by him exceeds the ceiling area applicable to him, or

(b) the whole or any part of the land of a tenure-holder exempted under section 6 or section 7 so loses its character as to cease to fall under any of the categories mentioned therein or if the land on which a grove has been planted under section 16 ceases to be grove land. such land shall be liable to be treated as surplus land."

[1][(7) राज्य सरकार, [2][विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले सामान्य या विशेष आदेश द्वारा] यह घोषणा कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से किसी मण्डल में स्थित सभी अतिरिक्त भूमि जिसका बन्दोबस्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नही किया जा सका, सम्बद्ध गांव सभा में निहित हो जायगी, और इस प्रकार निहित होने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।]

बन्दोबस्त की शर्तें

28–(1) [3][धारा 26–क या धारा 27] के अधीन भूमि का समस्त बन्दोबस्त ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए किया जायगा जो नियत की जाय ।

(2) [4][* * * *]

(3) तत्समय प्रचलित किसी विधि के उपबन्धों के होते हुए भी, कोई ऐसी व्यक्ति, जिसके साथ [3][धारा 26–क या धारा 27] के अधीन किसी भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या जिसे धारा 26 [5][जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि–विधि (संशोधन) अधिनियम 1969 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व थी] की उपधारा (2) के अधीन भूमि पट्टे पर गयी हो, ऐसी भूमि में कोई ऐसा अधिकार अर्जित नही करेगा, जो उन शर्तो का अल्पीकरण करे, जिनके अधीन भूमि का बन्दोबस्त किया गया हो या वह पट्टे पर दी गयी हो ।

अग्रेतर भूमि का अतिरिक्त भूमि के रूप में अनुवर्ती घोषणा

[6]**[29**–यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात् ––

(क) किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या उत्तराधिकार अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप या प्रतिकूल कब्जे के परिणामस्वरूप चिरभोग द्वारा कोई भूमि किसी खातेदार द्वारा धृत हो जाय, और ऐसी भूमि उसके द्वारा पहले से ही धृत भूमि को मिला कर, उसके लिए प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय ; या

(ख) कोई असिंचित भूमि राजकीय सिंचन संकर्म द्वारा सिंचाई के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि हो जाय, या कोई बाग–भूमि बाग के रूप में न रह जाय, या इस अधिनियम के अधीन विमुक्त कोई भूमि विमुक्त श्रेणियों की किसी श्रेणी के अन्तर्गत न रह जाय, तो

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 12 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 21(3) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 33(1) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 13 द्वारा निकाला गया ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1969 की धारा 31 (ii) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।

character as grove-land or any land exempted under this Act ceases to fall under any of the categories exempted, —

The ceiling area shall be liable to be re-determined [1][and accordingly the provisions of this Act, except section 16, shall *mutatis mutandis* apply.]

Determination of surplus land regarding future acquisition

30. (1) Where any land has become liable to be treated as surplus land [2][x x x] under Section 29, the tenure-holder shall, within such period as may be prescribed, submit a statement to the Prescribed Authority in the form and in the manner laid down under Section 9 indicating in the statement the plot or plots which he would like to retain as a part of his ceiling area.

(2) (a) Where the statement submitted under sub-section (1) is accepted by the Prescribed Authority, it shall proceed to determine the surplus land accordingly.

(b) Where a tenure-holder fails to submit a statement required to be submitted under sub-section (1) or submits an incomplete or incorrect statement, the prescribed authority shall proceed in the manner laid down under Section 10.

(c) The provisions of this Act in respect of declaration, acquisition, disposal and settlement of surplus land, shall, mutatis mutandis, apply to surplus land covered by this section.

Land gained by the recess of river

31. Where after the imposition of ceiling under this Act, any land is, by recession of any river, added to any holding, under any law or custom and the area of the land so added, together with the area of other existing land held by a tenure-holder, exceeds the ceiling area applicable to him ;

(i) such land shall, to the extent, necessary to make up to ceiling area applicable to him and contiguous to his existing holding, be deemed to be settled with the tenure-holder subject to the payment of proportionate additional land revenue and on the same terms and conditions as his existing holding ;

Bengal Regulation 111, 1825

(ii) The area in excess of the ceiling area applicable to the tenure-holder, shall, notwithstanding anything to the contrary in the Bengal Alluvium or Delusion Regulation, 1825, or any custom or usage, for the time being in force, vest in the State Government ; and

(iii) the land vesting in the State Government under the provisions of clause (ii) shall be surplus land and shall be dealt with as such in accordance with the provisions of this Act.

---

1. *Subs.* by sec. 22 of U. P. Act 20 of 1976.

2. *Omit.* by *sec.* 15 of U.P. Act No. 18, 1973.

अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण किया जायगा [1][और तद्नुसार इस अधिनियम के उपबन्ध, धारा 16 को छोड़कर आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"]

भावी अर्जनों के संबंध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण

30–(1) जब कोई भूमि [2][X X X] या धारा 29 के अधीन अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहारिक किये जाने योग्य हो जाय, तो खातेदार, ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाये नियत प्राधिकारी को धारा 9 के अधीन निर्धारित आकार में एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वह उस गाटे या उन गाटों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह अपने अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहता हों ।

(2) (क) जब उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरण नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाय, तो वह तदनुसार अतिरिक्त का अवधारण करने की कार्यवाही करेगा ।

(ख) यदि खातेदार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किये जाने के अपेक्षित विवरण प्रस्तुत न करे अथवा अपूर्ण या गलत विवरण प्रस्तुत तो नियत प्राधिकारी धारा 10 के अधीन निर्धारित रीति से कार्यवाही करेगा ।

(ग) अतिरिक्त भूमि की घोषणा, अर्जन, निस्तारण और बन्दोबस्त के संबंध में इस अधिनियम के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, इस धारा के अन्तर्गत आने वाली अतिरिक्त भूमि पर प्रवृत्त होंगे ।

नदी के हट जाने से भूमि की प्राप्ति

31–जब इस अधिनियम के अधीन अधिकतम सीमा के आरोपण के पश्चात् कोई भूमि, किसी नदी के हट जाने से किसी विधि या रूढ़ि के अनुसार, किसी जोत में बढ़ जाय और इस प्रकार बढ़ायी गयी भूमि का क्षेत्र खातेदार की अन्य वर्तमान भूमि के क्षेत्र को मिलाकर उसके सम्बन्ध में प्रयोजय अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय तो ;

(1) उस भूमि का, उस सीमा तक जो उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र को पूरा करने के लिये आवश्यक हो और जो उसकी वर्तमान जोत से मिली हुई हो, बन्दोबस्त खातेदार के साथ, उसी अनुपात से अतिरिक्त मालगुजारी दिये जाने की शर्त के अधीन रहते हुए और उन्हीं शर्तो के अधीन जिनके अधीन उसकी वर्तमान जोत हो, किया गया समझा जायगा ;

बंगाल रेगुलेशन 111, 1825

(2) खातेदार के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र बंगाल एलुवियन एन्ड डिलूवियन रेगुलेशन, 1825 (Bengal Alluvian and Diluvian Regulation, 1825) या तत्समय, प्रवृत्त किसी अन्य रूढ़ि या प्रथा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य सरकार में निहित हो जायगा ; तथा

(3) खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमि अतिरिक्त भूमि होगी और उसके संबंध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी ।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 22 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 15 द्वारा निकाला गया ।

CHAPTER V

Miscellaneous

State Government to be a party to all proceedings under this Act

32. (1) The State Government shall be a party to every proceeding under the provisions of this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the period of limitation for filing an appeal by the State Government shall be ninety days from the date of the order appealed against.

Power to determine or modify hereditary rates

33. (1) For the purposes of this Act —

(i) the Prescribed Authority may, in areas where no hereditary rates have been sanctioned, fix and hereditary rates on such principles as may be prescribed ; and

(ii) the State Government may, in areas where marked changes have taken place since the last settlement in the extent of cultivated land, extent and manner of irrigation, means of communication, density of population or the cropping system, modify, by publication in the Official Gazette, the existing sanctioned hereditary rates in the manner prescribed.

(2) The fixation of hereditary rates under clause (i) or the modification thereof under clause (ii) of sub-section (1) shall be so done that the fixation or modification of rates, as the case may be for the same class of soil in the same area is as nearly uniform as may be possible, and the rate fixed shall in no case be more than one-fifth of the produce value of the land.

34. [1][* * * *]

Penalties

[2]**[35.** (1) Whoever —

(a) fails to submit a statement as required under sub-section (2) or sub-section (2-A) of section 9 or sub-section (1) of section 30, or to furnish an affidavit under sub-section (1) of section 38-A ; or

(b) makes or submits a statement or furnishes any information in a document referred to in clause (a) which is false and which he has reason to believe to be false ; or

(c) otherwise contravenes any order passed under this Act ; or

(d) obstructs any person from taking possession of any land in accordance with the provisions of this Act ; or

---

1. *Omitted* as below by *sec.* 16 of U. P. Act No. 18 of 1973 ;

"34— Acquisition of the celling area applicable to the holder of a mechanized farm on his application :—

(1) On the acceptance by the Prescribed Authority of an application by the holder of a mechanized farm to surrender the ceiling area applicable to him, the land of such holder shall become surplus land and a declaration to this effect shall be notified by the Prescribed Authority in the Official Gazette.

(2) On the issue of the notification referred to in sub-section (1) all the provisions of this Act relating to surplus land including the provisions for payment of compensation shall mutatis mutandis apply."

2. *Subs.* by sec. 23 of U. P. Act 20 of 1976.

अध्याय – 5

विविध

इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों में राज्य सरकार एक पक्ष होगी

32–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक कार्यवाही मे एक पक्ष होगी ।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की अवधि उस आदेश के दिनांक से जिसके विरूद्ध अपील की जाय, नब्बे दिन की होगी ।

मौरूसी दरों के अवधारण या परिष्कार का अधिकार

33–(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ;

(एक) नियत प्राधिकारी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कोई मौरूसी दरें स्वीकृत न की गई हों, मौरूसी दरें, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो नियत किये जाये, निश्चित कर सकता है ; तथा

(दो) राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पिछले बन्दोबस्त के समय में कृषि भूमि के विस्तार या सिंचाई के विस्तार तथा उस की रीति, संचार के साधनों, आबादी की सघनता अथवा कृषि की पद्धति में लक्षित परिवर्तन हुआ हो, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके वर्तमान स्वीकृत मौरूसी दरों को नियत रीति से परिष्कृत कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (एक) के अधीन मौरूसी दरों का निश्चय या उसी उपधारा के खंड (दो) के अधीन उनका परिष्कार इस प्रकार किया जायगा कि दरों का निश्चय या परिष्कार, जैसी भी दशा हो, एक क्षेत्र में एक ही वर्ग की भूमि (soil) के लिये यथासंभव समान हो, और निश्चित की गई दरें, किसी भी दशा में, भूमि के उत्पाद–मूल्य (produce value) के पंचात्मंश से अधिक न होगी ।

34–[1][* * * *]

शास्तियां

[2]**[35**– (1) कोई भी जो ––

(क) धारा 9 की उपधारा (2) या उपधारा (2–क), या धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विवरण या धारा 38–क की उपधारा (1) के अधीन शपथ–पत्र प्रस्तुत नही करता है, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण देता है या प्रस्तुत करता है या दस्तावेज में कोई सूचना देता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का कारण उसके पास है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश का अन्यथा उल्लंघन करता है, या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का कब्जा लेने में किसी व्यक्ति को रूकावट पहुंचाता है, या

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 16 द्वारा धारा 34 निकाला गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।

(e) transfers any land in contravention of sub-section (8) of section 5 or sub-section (2) of section 6 ;

shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

(2) Where the Collector has taken possession of any surplus land under [1][x x x x] section 14 and any person thereafter occupies such land or any part thereof without any lawful authority, such person shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

(3) Any court convicting a person under sub-section (2) may make an order for evicting the person summarily from such land, and such person shall be liable to such eviction without prejudice to any other action that may be taken against him under any law for the time being in force.

(4) Without prejudice to the provisions of sub-section (2) and (3) the Collector may re-take possession of such land and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary for evicting any person found in occupation thereof.][2]

[3][Cognizance of offences.]

[3][**35-A.** No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except with the previous sanction of the State Government, or an officer authorized by the State Government.]

Offences by Companies and Co-operative Society

36. (1) If the person committing any offence under this Act is a company, every person who at the time the offence was committed was incharge of, and was responsible to, the company for the conduct of its business, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be punished under section 35 :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director or manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be punished.

Explanation — For the purposes of this section —

(a) “Company” means anybody corporate and includes a co-operative society or a firm or other association of individuals ; and

(b) “Director” in relation to a firm means a partner in the firm.

---

1. *Del.* By *sec.* 9 of U.P. Act No. 56 of 1976.
2. *Subs.* by *sec.* 23 of U.P. Act No. 20, 1976.
3. *Ins.* by sec. 24 of U. P. Act 20 of 1976.

(ङ) धारा 5 की उपधारा (8), या धारा 6 की उपधारा (2) के उल्लंघन पूर्वक किसी भूमि का अन्तरण करता है, तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या अर्थ–दंड से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) जहाँ कलेक्टर ने धारा 14 [1][x x x x] के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया है और कोई व्यक्ति तत्पश्चात् किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है वहां वह व्यक्ति कारावास से ऐसी अवधि के लिये, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थ–दंड से या दोनों से दंडनीय होगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध–दोष ठहराने वाला कोई न्यायालय उस व्यक्ति को सरसरी तौर पर ऐसी भूमि से बेदखल करने का आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, बेदखल कर दिया जायेगा ।

(4) उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी भूमि का पुनः कब्जा ले सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखल करने के लिए आवश्यक हो।][2]

[3][अपराध का संज्ञान]

[3]**[35–क**–कोई न्यायालय, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नही करेगा ।]

कम्पनियों और सहकारी समितियों द्वारा अपराध

36–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कम्पनी हो, तो कम्पनी स्वयं तथा साथ ही ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो अपने किए जाने के समय कम्पनी के कार्य–संचालन के लिये उसका अवधायक हो, तो उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध का दोषी समझा जायगा और धारा 35 के अधीन दण्ड का भागी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से उक्त कोई भी दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नही हुआ या यह कि उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी यथोचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी संचालक, प्रबन्धक, सचिव या अधिकारी की सम्मति से या उसकी मौनानुकूलता से किया गया है उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो ऐसा संचालक, प्रबन्धक, सचिव अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और भागी होगा ।

स्पष्टीकरण –– इस धारा के प्रयोजनों के लिये ––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और सहकारी समिति, अथवा फर्म या व्यक्तियों की कोई अन्य संस्था भी इसके अन्तर्गत है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "संचालक" का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 56, 1976 की धारा 9 द्वारा हटाया गया।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 24 द्वारा बढ़ाया गया।

Powers of officers and authorities in hearing and disposal of objections and the procedure to be followed

37. Any officer or authority holding an enquiry or hearing an objection under this Act, shall in so far as it may be applicable, have all the powers and privileges of a civil court, and follow the procedure laid down in the Code of Civil Procedure, 1908, for the trial and disposal of suits relating to immovable property.

Powers of the appellate Court and the procedure to be followed by it

38. (1) In hearing and deciding an appeal under this Act, the appellate court shall have all the powers and the privileges of a civil court and follow the procedure for the hearing and disposal of appeals laid down in the Code of Civil Procedure, 1908.

(2) Where under the provisions of this Act, an appeal has to be heard by the [1][Commissioner] he may either hear the appeal himself or transfer it for hearing to [2][Additional Commissioner] subordinate to him.

[3][Power to call for particulars of land from tenure holders]

[3]**[38-A.** (1) Where the prescribed authority or the appellate court considers it necessary for the enforcement of the proceedings under this Act, it may, at any stage of the proceedings under this act, require any tenure-holder to furnish such particulars by affidavit in respect of the land held by him and members of his family as may be prescribed.

(2) The particulars of land under sub-section (1) may be taken into consideration in determining the surplus land of such tenure-holder.

[3][Bar against *Res Judicata*]

38-B. No finding or decision given before the commencement of this section in any proceeding or on any issue (including any order, decree or judgment) by any court, tribunal or authority in respect of any matter governed by this Act, shall bar the retrial of such proceeding or issue under this Act, in accordance with the provisions of this Act as amended from time to time.]

Protection of action taken under this Act

39. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything done or purported to be done in good faith and in pursuance of this Act or any rule framed or order passed under this Act.

Mode of recovery of any amount under this Act

[4]**[40.** Where any sum is payable by any person to the State Government, under the provisions of this Act, the same may, without prejudice to any other mode of recovery, be realized by deduction from the amount, if any, payable to such person under Chapter III, or as an arrear of land revenue.]

Recovery of arrears of land revenue, etc.

41. All arrears of land revenue, or cesses or other dues in respect of any holding or holdings, part or parts whereof have been acquired

---

1. *Subs.* by sec. 3(a) of U. P. Act no. 3 of 1986.
2. *Subs.* by *sec.* 3(b) of U.P. Act no. 3 of 1986.
3. *Ins.* by sec. 26 of U. P. Act no. 20 of 1976.
4. *Subs.* by sec. 27 of U. P. Act no. 20 of 1976.

37–इस अधिनियम के अधीन जांच करने या किसी आपत्ति की सुनवाई करने में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को व्यवहार न्यायालय के यथाप्रयोज्य सब अधिकारी या प्राधिकारी को व्यवहार न्यायालय के यथाप्रयोज्य सब अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ, सिविल प्रोसीजर, 1908 में अचल सम्पत्ति विषयक वादों के परीक्षण तथा निस्तारण के लिये दी हुई है । आपत्तियों की सुनवाई तथा उन के निस्तारण अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के अधिकार तथा अनुकरणीय प्रक्रिया

38–(1) इस अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई करने में और उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) के सब अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 में अपीलों की सुनवाई तथा उनके निर्णय के लिये दी हुई है । अपीलीय न्यायालय के अधिकार तथा उसके द्वारा अनुकरणीय प्रक्रिया

(2) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी अपील की सुनवाई [1][आयुक्त] द्वारा होनी हो तो वह या तो स्वयं उस अपील को सुन सकता है या उसे सुनवाई के लिये अपने अधीनस्थ [2][अपर आयुक्त] को संक्रमित कर सकता है ।

[3]**[38–क**– (1) जहां नियत प्राधिकारी या अपील न्यायालय इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये यह आवश्यक समझें वहां वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर किसी खातेदार से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में ऐसा विवरण, जैसा नियत किया जाय, शपथ–पत्र द्वारा प्रस्तुत करे । [3][खातेदार से भूमि का विवरण मांगने की शक्ति]

(2) खातेदार की अतिरिक्त भूमि के अवधारणार्थ उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत भूमि के विवरण पर विचार किया जा सकता है ।

[3]**[38–ख**–इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही में या किसी वादपद पर (जिसके अन्तर्गत कोई आदेश, डिक्री या निर्णय भी है) इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी निष्कर्ष या विनिश्चय से इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाही या वादपद पर समय–समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः विचारण में कोई रुकावट न होगी ।] [3][पूर्व न्याय का अर्जन]

39–किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नही की जा सकेगी जो सद्भावना से और इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम अथवा दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में की गई हो, या की गई प्रकट हो । इस अधिनियम के अधीन की गई कार्यवाही का संरक्षण

[4]**[40**–यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को कोई धनराशि देय हो, तो उसे वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 3 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय राशि से, यदि कोई हो, काट कर या माल–गुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है ।] इस अधिनियम के अधीन किसी धनराशि की वसूली की रीति

41–ऐसी जोत या जोतों के सम्बन्ध में, जिनके भाग इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिये गये हों, मालगुजारी या अबवाबों या अन्य आदेशों के सभी बकाया और मलगुजारी क बकाया की वसूली

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1986 की धारा 3ख द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 26 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 27 द्वारा प्रतिस्थापित।

under this Act and all amounts due from the holder thereof under the Land Improvements Loans Act, 1883 or the Agricultural Loans Act, 1884 or the U. P. Agricultural Income Tax Act, 1948 or U. P. Large Land Holdings Tax Act, 1957 may without prejudice to any other mode of recovery, be recovered by deducting the outstanding amount from the [1][amount] payable under Chapter III.

Application of the [2][Limitation Act, 1963]

42.[3] The provisions of [Section 4, 5 and 12 of the Limitation Act, 1963], shall be applicable to all proceedings, including proceedings in appeals, applications and objections under this Act.

Delegation of Power

43. The powers of the Collector under this Act, may be exercised by an Assistant Collector of the first class incharge of the sub-division in which the surplus land lies or by any other Assistant Collector of the first class specially empowered by the Collector in this behalf.

Power to make rules

44. [4][(1) The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act ;]

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely —

(a) the manner in which any notice or order under this Act may be served or published ;

(b) the procedure which the Collector shall follow while exercising powers conferred by this Act ;

[5][(bb) Conditions pertaining to the grant of permission to transfer land under sub-section (2) of section 6 ;]

(c) the manner and the principle under which expenses, referred to in sub-section (3) of Section 15, shall be calculated ;

(d) the fees payable on a petition or appeal under this Act ; and

(e) the matters which are to be and may be prescribed.

(3) [6][* * * * *]

Repeal

45. (1) With effect from the thirtieth day of June, 1961, the U. P. Large Land Holdings Tax Act, 1957 (U. P. Act XXXI of 1957) except Section 28 thereof, shall stand repealed.

---

1. *Subs.* by sec. 28 of U. P. Act no. 20 of 1976.
2. *Substituted* for "Indian Limitation Act, 1908" by *sec.* 17(i) of U. P. Act no. 18 of 1973.
3. *Substituted* for "Indian Limitation Act, 1908" by *sec.* 17 (ii) of U. P. Act no.18 of 1973.
4. *Subs.* by sec. 29(a) of U. P. Act no. 20 of 1976.
5. *Ins.* by sec. 29(b) of U. P. Act no. 20 of 1976.
6. *Omit.* by sec. 29(c) of U. P. Act no. 20 of 1976.

लैन्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स ऐक्ट, 1883 या एग्रीकल्चरल लोन्स ऐक्ट, 1884 या 1984 ई० का संयुक्त प्रान्तीय कृषि आयकर ऐक्ट या उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, 1957 के अधीन उसके धारक द्वारा देय सभी धनराशियां, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय के अधीन देय [1][राशि] में से अदत्त धनराशि की कटौती करके वसूल की जा सकती है ।

[2] [परिसीमा अधिनियम 1963" की प्रवृत्ति] ऐक्ट सं० 9, 1908

42–[3][परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5, तथा 12] उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर अपील, प्रार्थना–पत्र तथा आपत्ति की कार्यवाहियां भी है, प्रवृत्त होंगे ।

अधिकारों का प्रतिनिधान

[3]**43**–इस अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर के अधिकारों का प्रभाव उस परगने के, जिसमें अतिरिक्त भूमि स्थित हो, प्रभारी प्रथम श्रेणी असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा अथवा प्रथम श्रेणी के किसी अन्य असिस्टेन्ट कलेक्टर द्वारा जो कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से तदर्थ अधिकृत किया गया हो, किया जा सकता है ।

नियम बनाने का अधिकार

44– [4] [(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।]

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय पर व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् : ––

(क) रीति जिसके अनुसार इस नियम के अधीन कोई नोटिस या आदेश तामील या प्रकाशित किया जा सकता है ;

(ख) प्रक्रिया जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते समय कलेक्टर अनुसरण करेगा ;

[5][(खख) शर्तें जो धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन भूमि का अन्तरण करने की अनुज्ञा देने से संबंधित हो ;]

(ग) रीति तथा सिद्धान्त जिनके अनुसार धारा 15 की उपधारा (3) में उल्लिखित व्यय की गणना की जायगी ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन किसी याचिका या अपील पर शुल्क, और

(ङ) विषय जो नियत करने हों और नियत किये जायें ।

(3) [6][* * * *]

निरसन

45–(1) 30 जून, 1961 से उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर अधिनियम, 1957, सिवाय उसकी धारा 28 के, निरस्त हो जायगा ।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 17(i) द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973 की धारा 17(ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 29(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 29(ख) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 29(ग) द्वारा निकाला गया ।

U.P. Act No. 31 of 1957

U.P. Act No. 1 of 1904

(2) Notwithstanding the repeal of the U. P. Large Land Holdings Tax Act, 1957, and without prejudice to the provisions of the U. P. General Clauses Act, 1904, the repeal under sub-section (1) shall not—

(a) affect the previous operation of the Act so repealed or anything done or suffered thereunder ; or

(b) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act so repealed ; or

(c) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of an offence committed against the Act so repealed ; or

(d) affect any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid ; or

U.P. Act No. 31 of 1957

(e) affect the right to take action under Section 15 of the U. P. Large Land Holdings Tax Act, 1957, in accordance with the provisions of that Act in respect of a land holding which has escaped assessment;

and any such investigation, legal proceeding, remedy or action for assessment and any such investigation, enforced or taken and any such penalty, forfeiture, punishment or assessment may be imposed or made as if the U. P. Large Land Holdings Tax Act, 1957, had remained in force on all material dates.

SCHEDULE

(Section 17)

PART I

(Areas where the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 applies)

(a) Bhumidhar	Forty times of the land revenue determined at hereditary rates applicable [1][* * *] and where the land revenue payable is less than that determined at hereditary rates applicable, and additional amount equal to twenty times of difference between the two.
(b) Bhumidhar in respect of the surplus land held by his *asami* mentioned in Section 11 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.	(i) If the asami holds land in perpetuity, one-eighth of the [2][amount] calculated as in the case of item (a) above.

1. *Omit.* by sec. 30 (a)(i) of U. P. Act no. 20 of 1976.

2. *Subs.* by sec. 30 (a)(ii) of U. P. Act no. 20 of 1976.

(2) उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, 1957 का निरसन होने पर तथा यू० पी० जनरल कलाजेज ऐक्ट, 1904 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) के अधीन निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर होगा : —— उ० प्र० अधिनियम संख्या 31, 1957 उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1904

(क) इस प्रकार निरस्त अधिनियम का पूर्व प्रवर्तन अथवा तद्धीन की गई या करने की गयी कोई बात, या

(ख) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत कोई अधिकार विशेषाधिकार प्रभार अथवा दायित्व,

(ग) इस प्रकार निरस्त अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शक्ति, जब्ती अथवा दण्ड, या

(घ) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, दायित्व, शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान, विधिक कार्यवाही अथवा उपचार, या

(ङ) उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीन उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उस जोत के सम्बन्ध में जो कर निर्धारण से बच गयी हो, कार्यवाही करने का अधिकार ; उ० प्र० अधिनियम संख्या 31, 1957

और ऐसे किसी अनुसंधान, विधिक कार्यवाही, उपचार अथवा कर निर्धारण के लिये कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है, प्रवर्तित की जा सकती है या की जा सकती है और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती अथवा दण्ड आरोपित किया जा सकता है, अथवा ऐसा कोई कर निर्धारण किया जा सकता है, मानों उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर अधिनियम, 1957 सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो ।

अनुसूची

(धारा–17)

भाग–1

(क्षेत्र जिनमें 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है ।)

(क) भूमिधर	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का चालीस–गुना [1][* * *] और यदि देय मालगुजारी प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम हो तो दोनों के अन्तर तो बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(ख) भूमिधर, उस अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में जो "1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम" की धारा 11 में उल्लिखित उसके असामी के पास हो ।	(1) यदि असामी के पास भूमि सदा से लिये हो, तो उस [2][राशि] का 1 भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30क (i) द्वारा निकाला गया ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की 30क (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।

	(ii) If the asami holds land for his life-time, five-eighth of the [1][amount] calculated as in the case of item (a) above.
	[2][(iii) If the asami holds land for a specified period, an amount arrived at after deducting the amount payable to the *asami* in accordance with the provisions contained in item (e) (iii) from the amount calculated as in the case of item (a) above.]
(c) Sirdar	Twenty times the land revenue determined at hereditary rate applicable and where the land revenue payable is less than that determined at hereditary rates applicable an additional amount equal to twenty times of the difference between the two.
(d) Asami of a [3][Gaon Sabha] or of a Local Authority.	Five times rent payable by him.
(e) Asami mentioned in Section 11 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.	(i) If the asami holds land in perpetuity, seven-eighth of the [4][amount] calculated as in the case of item (a) above.
	(ii) If the asami holds land for his life-time, three-eighth of the [4][amount] calculated as in the case of item (a) above.
	(iii) If the asami holds lands for a specified period, half of the land revenue determined at hereditary rates applicable for each year of the unexpired period of the lease, subject to a maximum of thirty-five times the land revenue so computed.

---

1. *Subs.* by sec. 30 (a) (ii) of U. P. Act no. 20 of 1976.
2. *Substituted* by sec. 3(2) of U. P. Act no. 28 of 1961.
3. *Subs.* by sec. 30 (a) (iii) of U. P. Act no. 20 of 1976.
4. *Subs.* by sec. 30 (a) (iv) of U. P. Act no. 20 of 1976.

	(2) यदि असामी के पास भूमि उसके जीवन पर्यन्त हो, तो उस [1][राशि] का 5 भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो ।
	[2](3) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो तो पट्‌टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधा, किन्तु ऐसा अधिकतम प्रतिकर मद (ङ) (3) के अधीन असामी में देय प्रतिकर सहित, इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के चालीस गुने से अधिक न होगा ।
(ग) सीरदार	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का बीस गुना और यदि देय मालगुजारी प्रयोग मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी से कम तो दोनों के अन्तर के बीस–गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(घ) किसी [3][गांव सभा] अथवा स्थानीय प्राधिकारी का असामी ।	उसके द्वारा देय लगान का पांच गुना ।
(ड़) "1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम" की धारा 11 में उल्लिखित असामी ।	(1) यदि असामी के पास भूमि सदा लिए हो, तो उस [4][राशि] का भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो।
	(2) यदि असामी के पास भूमि, जीवन पर्यन्त हो, तो उस [3][राशि] का भाग जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो ।
	(3) यदि असामी के पास भूमि किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये हो, तो पट्‌टे की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित मालगुजारी का आधार, किन्तु ऐसा प्रतिकर इस प्रकार अवधारित मालगुजारी के पैंतीस गुने से अधिक न होगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 क (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1961 की धारा 3 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 क (iii) द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 क (iv) द्वारा प्रतिस्थापित ।

Explanation — The hereditary rate applicable to any portion of the holding which is barren, shall be deemed to be-/1/- per acre.

PART II

(Areas where Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 does not apply)

(a) Occupancy, Ex-proprietary, hereditary tenants and grantees at favorable rate of rent.	Twenty times the rent determined at the hereditary rates applicable and where the rent payable is less than the amount so determined an additional amount equal to twenty times of the difference between the two.
(b) Other tenants.	Five times the rent payable.

Explanation — The hereditary rate applicable to any portion of the holding which is barren, shall be deemed to be-/1/- per acre.

PART III

Government Lessee

(a) The [1][amount] payable to a Government lessee shall be calculated with reference to the compensation provided for a tenure-holder falling under Part I or II, as the case may be, with whose terms and conditions the terms of the Government grant conform as near as possible.

[2][(b) The amount payable to a sub-lessee of a Government lessee mentioned in clause (9) of Section 3 shall be seven-eighth of the amount calculated as in the case of item (a) above, and the balance shall be paid to the Government lessee concerned ;]

PART IV

(a) Buildings.	Ten to twenty times, as may be determined having regard to condition and nature of the building of the gross annual letting value or if no letting value is known the letting value as ascertained in the manner prescribed.

1. *Subs.* by sec. 39(b) (i) of U. P. Act no. 20 of 1976.
2. *Subs.* by sec. 30(b) (ii) of U. P. Act no. 20 of 1976.

स्पष्टीकरण——जोत के किसी ऐसे भाग के लिये, जो बंजर हो, प्रयोज्य मौरूसी दर एक आना अति एकड़ समझी जायगी ।

———

भाग—2

(क्षेत्र जिनमें 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि–व्यवस्था अधिनियम प्रवृत्त होता है ।)

(क) दखीलकार काश्तकार, साकितुल–मिल्कियत काश्तकार, मौरूसी काश्तकार और काश्तकार रियायती लगान ।	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित लगान का बीस गुना ; और यदि देय लगान इस प्रकार अवधारित लगान से कम हो, तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।
(ख) अन्य काश्तकार	देय लगान का पांच गुना ।

स्पष्टीकरण—जोत के किसी ऐसे भाग के लिये, जो बंजर हो, प्रयोज्य मौरूसी दर एक आना प्रति एकड़ समझी जायगी ।

———

भाग—3

सरकारी पट्टेदार

(क) सरकारी पट्टेदार को देय [1][राशि] का हिसाब भाग 1 अथवा 2 के, जैसी भी दशा हो, अन्तर्गत आने वाले उस खातेदार के लिये व्यवस्थित प्रतिकर के अनुसार लगाया जायगा, जिसके निबंधन और शर्तें सरकारी अनुदान की शर्तों के अधिकतम अनुरूप हों ।

[2][(ख) धारा 3 के खण्ड (9) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार को देय राशि उस राशि का 7/8 भाग होगी, जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो, और शेष राशि संबद्ध सरकारी पट्टेदार को दी जायगी ;]

(क) दखीलकार काश्तकार, साकितुल–मिल्कियत काश्तकार, मौरूसी काश्तकार और काश्तकार रियायती लगान ।	प्रयोज्य मौरूसी दरों से अवधारित लगान का बीस गुना ; और यदि देय लगान इस प्रकार अवधारित लगान से कम हो, तो दोनों के अन्तर के बीस गुने के बराबर अतिरिक्त धनराशि ।

———

भाग—4

(क) इमारतें	सकल वार्षिक भाटक–मूल्य का दस से बीस गुना तक, इमारत की अवस्था तथा उसके प्रकार को देखते हुये जो भी निश्चित किया जाय, अथवा यदि भाटक–मूल्य ज्ञात न हो, तो भाटक–मूल्य जो नियत रीति से निश्चित किया जाय ।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 (ख) (i) द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 (ख) (ii) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][NOTE— The amount for building shall include the amount for land on which the building stands ;]

(b) (1) Masonry wells, tube-wells or pucca irrigational channels in use.	Cost of constructing a similar well or channel, as the case may be, minus depreciation at the rate of 2 per cent per annum thereof.
(2) Masonry wells or pucca irrigational channels not in use.	Cost of the material of the cylinder and platform or the channel, as the case may be, minus depreciation at the rate of 2 per cent per annum thereof.
(c) Trees.	
(1) Fruit bearing trees.	Eight times the annual fair average value of fruit crops.
Note [2][* * * *]	
(2) For young fruit trees which have not yet borne fruits.	[3] [Eight times the annual fair average value of such trees ;]
(3) Trees whose value lies mainly in the timber thereof.	Local market value of unfilled timber trees according to the cubic contents thereof.

[4][***Explanation*** — For the purposes of item (c) the expression 'average value', in relation to a tree, means the arithmetic mean of twenty year profits accruing from such tree.]

---

1. *Subs*. by sec 30 (c) (i) of U. P. Act no. 20 of 1976.
2. *Omit.* by sec. 30(c)(iii) of U. P. Act no.20 of 1976.
3. *Subs*. by sec. 30(c)(ii) (2) of U. P. Act no. 20 of 1976.
4. *Ins*. by sec. 30 (c)(ii) (3) of U. P. Act no. 20 of 1976.

[1][**टिप्पणी**–इमारत की राशि के अन्तर्गत उस भूमि की राशि भी होगी जिस पर इमारत स्थित हो।]

(ख) (1) पक्के कुएं, नल–कूप या सिंचाई की पक्की नालियाँ जो प्रयोग में हों ।	उसी प्रकार का कुआँ या नाली, जैसी भी दशा बनाने की लागत, उसमें से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्यन घटा कर ।
(2) पक्के कुयें या सिंचाई की पक्की नालियां जो प्रयोग में न हों ।	गोलाई (सिलिंडर) तथा जगत या चैनल की, जैसी भी दशा हो, सामग्री की लागत, 1 से 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उसका अवमूल्य घटा कर ।
(ग) वृक्ष —–	
(1) फलवाले वृक्ष	फल की फसलों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना ।

टिप्पणी :—– [2][* * * *]

(2) फल के उन नये वृक्षों के लिये जिन में अभी फल न लगे हों ।	पौधें की लागत और श्रम तथा रोपण पर व्यय ।
(3) ऐसे वृक्ष जिनका मूल्य मुख्यतया उनकी इमारती लकड़ी के कारण होता है ।	[3][ऐसे वृक्षों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना ;]

[4][**स्पष्टीकरण** —– मद (ग) के प्रयोजनार्थ, किसी वृक्ष के सम्बन्ध में पद "औसत मूल्य" का तात्पर्य ऐसे वृक्ष से होने वाले बीस वर्ष के लाभ के अंकगणितीय औसत से है।]

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 ग (i) द्वारा प्रतिस्थापित । (सदैव से प्रतिस्थापित समझी जाएगी)
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 ग (ii) 1 द्वारा निकाला गया ।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 ग (ii) 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1976 की धारा 30 ग (ii) 3 द्वारा बढ़ाया गया